न्यायालय:अपर सेशन न्यायाधीश सं0 2 बयाना, कैम्प रुपवास, जिला भरतपुर(राज०)	
पीठासीन अधिकारी - प्रशांत शर्मा आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग) निर्णय दिनांक - 06.04.2026 सेशन केस संख्या - 45/2019 सी०आई०एस नंबर - 44/19 प्र०सू०रिपोर्ट सं. व पुलिस थाना - 254/2019, पुलिस थाना रूपबास	
परिवादी-प्रार्थी	राजस्थान राज्य

प्रस्तुतकर्ता	**श्री ओमप्रकाश तिवाडी, विद्वान अपर लोक अभियोजक** वास्ते-राजस्थान राज्य
अभियुक्त का विवरण	1. **गिरीश कुमार** पुत्र श्री अनारसिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी- कस्बा रूपबास थाना रूपबास, जिला भरतपुर ।
अधिवक्ता अभियुक्त	**1. श्री सचिन शर्मा,** **2. दिलीप शर्मा,**
अधिवक्ता परिवादी-पीडित पक्ष	**1. श्री अशोक भातरा**

अपराध घटित होने की दिनांक	28.04.2019
प्र०सू०रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	28.04.2019
आरोप पत्र पेश होने की दिनांक	25.07.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	13.09.2019
साक्ष्य हेतु नियत किये जाने की दिनांक	06.11.2019
बहस अंतिम सुनी जाने की दिनांक	06.04.2026
निर्णय पारित किये जाने की दिनांक	06.04.2026
दंडादेश हेतु नियत दिनांक, यदि कोई हो	----------

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	अधिरोपित अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	विचारण के दौरान अभिरक्षा की अवधि धारा 428 दं.प्र.सं. के लिये
01.	गिरीश कुमार	28.05.2019	अभियुक्त जमानत पर चल रहा है ।	धारा 498 ए, 304 बी भादंसं	------	**निर्णयानुसार**	

-:: निर्णय::-

दिनांकः 06.04.2026

01. अभियोजन प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 28.04.2019 को परिवादी रविन्द्र सिंह ने उपस्थित थाना रूपबास होकर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 इस आशय की दर्ज करवायी, कि उसकी बहिन रक्षा उर्फ लालू की शादी गिरीश पुत्र अनारसिंह के साथ दिनांक 02.03.2014 को ग्राम बसई थाना खेरागढ में हुई थी । उन्होंने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान व रूपया-पैसा दिया था, लेकिन उसकी बहिन के ससुराल वाले दिये गये दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा उसकी बहिन को तरह-तरह से दहेज के लिये तंग व परेशान कर प्रताडित करते थे । इस बाबत् उसकी बहिन ने घरवालों को कहा, जिस पर कई बार उसके ससुराल वालों को समझा आये । उसकी बहिन रक्षा के ससुर अनारसिंह, पति गिरीश, जेठ चन्द्रकेश व मनोज ने आज दोपहर लगभग 12.00 बजे दहेज की खातिर उसकी बहिन को मार दिया, जिसकी सूचना उसके बडे बहनोई ने दी थी ।----इत्यादि पर मु०नं० 254/2019 अपराध धारा 498(ए), 304(बी) भादंसं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान पुलिस थाना रूपबास द्वारा अभियुक्त गिरीश कुमार के विरुद्ध धारा 498(ए), 304(बी) भादंसं में अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुपबास में दिनांक 25.07.2019 को आरोप पत्र पेश किया गया, जहाँ से उक्त प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने पर कमिट होकर इस न्यायालय में दिनांक 09.08.2019 को पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त गिरीश कुमार के विरुद्ध धारा 498ए, 304(बी) भादंसं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाहान परीक्षित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**किस तथ्य से संबंधित साक्ष्य**
01.	पी०ड०01 सुरेश सिंह	मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी1, नक्शा मौका प्रदर्श पी2, फर्द जब्ती प्रदर्श पी3 से संबंधित
02	पी०ड०02 वीरेन्द्र	मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी1 से संबंधित
03.	पी०ड०03 रामवकील	अभियोजन कथानक की ताईद तथा मृतका का पंचनामा प्रदर्श पी1 से संबंधित

04.	पी०ड० 04 गजेन्द्र	नक्शा मौका प्रदर्श पी2, फर्द जब्ती प्रदर्श पी3 से संबंधित
05.	पी०ड० 05 रजत कुमार	घटना के सम्पूर्ण तथ्य तथा बयान धारा 161 सीआरपीसी से संबंधित
06.	पी०ड० 06 सुमन	घटना के सम्पूर्ण तथ्य तथा बयान धारा 161 सीआरपीसी से संबंधित
07.	पी०ड० 07 पूजा	अभियोजन कथानक की ताईद व बयान धारा 161 सीआरपीसी से संबंधित
08.	पी०ड० 08 इंद्रजीत सिंह	फर्द जब्ती प्रदर्श पी04 व मुलजिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी05 से संबंधित
09.	पी०ड० 09 परसराम उर्फ छोटल्ली	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी 06 से संबंधित
10.	पी०ड० 10 रमेश	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी07 से संबंधित
11.	पी०ड० 11 डॉ० ओम भारती	मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी08 से संबंधित
12.	पी०ड० 12 सतीश परमार	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी09 से संबंधित
13.	पी०ड० 13 चेतराम सेवदा	हालात तफ्तीश से संबंधित
14.	पी०ड० 14 पूरनसिंह	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी18 से संबंधित
15.	पी०ड० 15 रामनाथ सिंह	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी19, चाक एफआईआर प्रदर्श पी20, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी01 से संबंधित
16.	पी०ड० 16 राकेश	बयान धारा 161 सीआरपीसी प्रदर्श पी21 से संबंधित
17.	रविन्द्र सिंह	तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी19, चाक एफआईआर प्रदर्श पी20, फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी01, नक्शा मौका प्रदर्श पी02, फर्द जब्ती साडी प्रदर्श पी03, फर्द सुपुदर्गी लाश प्रदर्श पी11 से संबंधित

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र.सं.	**दस्तावेज**	**दस्तावेज का विवरण**
01.	प्रदर्श पी1	फर्द पंचायतनामा लाश
02.	प्रदर्श पी2	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
03.	प्रदर्श पी3	फर्द जब्ती एक साडी इस्तेमाली
04.	प्रदर्श पी4	फर्द जब्ती स्त्रीधन
05.	प्रदर्श पी5	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम गिरीश कुमार
06.	प्रदर्श पी6	बयान धारा 161 सीआरपीसी परसराम उर्फ छोटली
07.	प्रदर्श पी7	बयान धारा 161 सीआरपीसी रमेश
08.	प्रदर्श पी8	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका रक्षा
09.	प्रदर्श पी9	बयान धारा 161 सीआरपीसी सतीश कुमार
10.	प्रदर्श पी10	चैंपा पर्ची व नमूना सील
11.	प्रदर्श पी11	रसीद सुपुर्दगी लाश

12.	प्रदर्श पी12	विवाह आमंत्रण पत्र
13.	प्रदर्श पी13	सी०डी०
14.	प्रदर्श पी14	कॉल डिटेल उपलब्ध करवाने बाबत् लिखा गया पत्र
15.	प्रदर्श पी15	फर्द इत्तला धारा 27 मुलजिम गिरीश
16.	प्रदर्श पी16	मोटरसाईकिल की आर०सी०
17.	प्रदर्श पी18	बयान धारा 161 सीआरपीसी पूरनसिंह
18.	प्रदर्श पी19	तहरीरी रिपोर्ट
19.	प्रदर्श पी20	चाक एफआईआर
20.	प्रदर्श पी21	बयान धारा 161 सीआरपीसी राकेश सिंह

05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

06. प्रकरण में न्यायालय की ओर से निम्न दस्तावेज बतौर न्यायालय प्रदर्श प्रदर्शित करवाये गयेः-

क्र०सं०	न्यायालय प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
01.	-	-

07. अभियुक्त के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं लिये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुये गवाहान की साक्ष्य को गलत व असत्य होना बताया है व प्रलेखीय साक्ष्य में कोई साक्ष्य पेश नहीं करवाई गई ।

क्र०सं०	बचाव साक्षी का नाम	किस तथ्य से संबंधित है
01.	डी०ड० 01	वीरेन्द्र कुमार जैन

08. बचाव पक्ष की ओर से मामले के समर्थन में प्रलेखीय एवं भौतिक साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये ।

क्र०सं०	दस्तावेज	दस्तावेजों का विवरण
01.	प्रदर्श डी01	बयनामा

09. बचाव पक्ष की की ओर से बतौर वस्तु आर्टिकल निम्न आर्टिकल प्रदर्शित करवाया गयाः-

क्र०सं०	आर्टिकल	आर्टिकल का विवरण
01.	-	-

10. बहस अंतिम सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

11. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता

परिवादी का तर्क रहा है, कि उपलब्ध एवं मौखिक प्रलेखीय साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित सभी अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हुये हैं । मृतका के माता-पिता, बहन, जीजा एवं अन्य सभी परिजनों ने अभियुक्त द्वारा मृतका से दहेज में चारपहिया वाहन एवं एक लाख रूपये मांगे जाने की अखण्डनीय साक्ष्य दी है । मृतका को विवाह के पश्चात् से ही उक्त मांग को लेकर निरंतर प्रताडित किया जाता रहा है, जिसकी पुष्टि उपलब्ध समग्र साक्ष्य से बखूबी हुई है । अभियुक्त ने दहेज के लालचवश मृतका की हत्या की है, जिसकी हत्या उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होना प्रमाणित है । अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है-

1. गुरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2013 क्रि.लॉ.रि (एस.सी.) 977

12. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया है, कि मामले में मृतका के परिजनों के अतिरिक्त और महत्वपूर्ण साक्षीगण पी०ड० 09 परसराम उर्फ छोटल्ली, पी०ड० 10 रमेश चंद, पी०ड० 12 सतीश परमार, पी०ड० 14 पूरनसिंह, पी०ड० 16 राकेश ने अभियोजन कथानक की ताईद नहीं की है एवं उक्त गवाहान ने परिवादी द्वारा दर्ज करवायी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 के समर्थन में भी कोई कथन नहीं किया है। मृतका से की जाने वाली मांग एवं मारपीट के संबंध में किसी साक्षीगण की साक्ष्य दृढ नहीं रही है । किसी भी साक्षी का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है, जिससे प्रकट होता हो, कि अभियुक्त द्वारा तत्समय मृतका से दहेज की मांग की हो, जिसकी पूर्ति ना होने पर मृतका के साथ मारपीट एवं प्रताडना कारित की हो। मृतका के किसी भी परिजन ने अभियुक्त द्वारा दहेज मांगे जाने एवं मारपीट किये जाने का कोई दिनांक स्पष्ट नहीं किया है, जिनकी साक्ष्य परस्पर गंभीर विरोधाभासों से ग्रस्त रही है, जिस पर विश्वास किया जाना उचित नहीं है । पत्रावली पर अभियोजन कथानक बाबत अभियुक्तगण के विरुद्ध लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों की रोशनी में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

13. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है-

1. दुर्गाप्रसाद व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, सी.सी.सी. 2010(3) (एस.सी.) 190

2. बलजीत कौर बनाम सतपाल सिंह व अन्य, सी.सी.सी 2015(4) पी एण्ड बी (डी.बी.) 663

3. पालेराम बनाम हरियाणा राज्य, सी.सी.सी. 2005(2) पी एण्ड एच 849

4. कंवरपाल बनाम शकुंतला व अन्य, सी.सी.सी. 2015(2) दिल्ली 213

5. बलवीर सिंह व अन्य बनाम राज्य, सी.सी.सी. 211(3) उत्तराखण्ड 084

6. राजस्थान राज्य बनाम हरीसिंह, 2013(2)(सी.जे.) क्रि.लॉ.रि. (राज.) 587

7. महेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2019 (2) (अक्विटल) 63(एस.सी.) 63

8. राजस्थान राज्य बनाम जाहिर, 2025(3) क्रि.लॉ.रि. (राज.) 1446

9. करणीदान व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये पी.पी. व अन्य, 2025(3) क्रि.लॉ.रि. (राज.) 1454

10. मौहम्मद अयूब अंसारी बनाम राजस्थान राज्य जरिये पी.पी. व अन्य 2025(4) क्रि.लॉ.रि. 1784

11. बैजनाथ व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2016 क्रि.लॉ.रि. (एस.सी.) 1234

12. अमीरचंद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य, 2019(2) क्रि.लॉ.रि. (राज.) 1085

13. कृष्ण कुमार बलाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य जरिये पी.पी. 2018(3) क्रि.लॉ.रि.(राज.) 1593

14. उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

15. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नानुसार है:-

    1. क्या अभियुक्त ने परिवादी की बहिन रक्षा उर्फ लालू (मृतका) से विवाह दिनांक 02.03.2014 के पश्चात् किसी समय मौजा रूपबास में उसका पति रहते हुए, दहेज में चार

पहिये गाडी व एक लाख रूपये की अवैध मांग की एवं उक्त मांग की पूर्ति नहीं होने पर, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार एवं मारपीट की एवं दिनांक 28.04.2019 को उसे शारीरिक क्षति से अन्यथा शादी के सात साल के भीतर उसकी मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग कर, उसके साथ क्रूरता करते हुए हत्या कारित की ?

2. यदि हॉ, तो दण्डादेश ?

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या एक</u>

16. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है, कि इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित मृतका के चाचा पी०ड० 01 सुरेश सिंह ने साक्ष्य दी है, कि दिनांक 28.04.2019 को दोपहर करीब दो-ढाई बजे उसकी भतीजी की मृत्यु हो गई थी, जिसका पंचनामा बना था, जो प्रदर्श पी01 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था तथा उसके हस्ताक्षर थाने पर कराये थे । नक्शा मौका प्रदर्श पी02 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । उसकी भतीजी की साडी पुलिस ने जब्त की थी, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी03 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि पुलिस ने पंचनामा उसके सामने नहीं बनाया, केवल साईन कराये थे, जो 29 तारीख को थाने पर कराये थे । पंचनामा अस्पताल में बना था, जहां चार-पांच व्यक्ति थे । पंचनामा पर उसके अलावा वीरेन्द्र के हस्ताक्षर कराये थे। उसकी तबीयत खराब थी, इसलिये वह वहां से निकल आया । नक्शा मौका प्रदर्श पी02 पुलिस अधिकारी ने मौके पर मकान पर जाकर बनाया था, जो दोपहर बाद व शाम के समय 06.00 बजे बनाया था । वह नहीं जानता है, कि रक्षा जहां मरी थी, उस मकान के आसपास किनके मकान हैं । स्वयं कहा कि बाहर का आदमी पडौसियों के नाम नहीं जानता । वह स्थान उसने देखा था, जहां रक्षा मरी थी, वह अनारसिंह का मकान था । रक्षा मकान की प्रथम तल पर मरी थी । रक्षा मकान के प्रथम तल पर रहती थी । रक्षा की मृत्यु की सूचना मिलने पर वे 6-7 बजे अनारसिंह के घर गये थे, उस समय रक्षा का शव तिबारे में नीचे की मंजिल पर रखा हुआ था । जिस समय नक्शा बनाया, उस समय रक्षा जिस कमरे में रहती थी, उसमें सामने बैड व खाने-पीने का सामान रखा था । वहां उन्हें कूलर लुढका हुआ मिला, जिसके

नीचे एक हाथ से ज्यादा का लकडी का टुकडा मिला था । उसने उस लकडी के टुकडे पर कोई निशान नहीं देखे । नक्शा बनाते समय पुलिस ने वह लकडी उनके सामने जब्त नहीं की थी । उस समय बैड व लकडी के टुकडे के अलावा अन्य कोई लकडी का सामान वहां नहीं मिला । साडी दूसरे मकान से, दूसरी मंजिल से मिली थी । अनभिज्ञता जाहिर की है, कि दूसरे मकान का नक्शा पुलिस ने बनाया या नहीं । स्वयं कहा गिरीश उस मकान में रहता था । जिस मकान से साडी बरामद की, वह उसने घुसकर नहीं देखा, ना ही उसे उसमें रखे सामान का पता है । जहां से साडी बरामद हुई, उस स्थान पर कोई निशान नहीं थे । वह सुरेश सिंह व सुरेश चंद भी लिखता है । पंचनामा पर उसने साईन सुरेशसिंह से किये थे । पुलिस ने लडकी के मरने के स्थान का नक्शा मौका बनाया था, जिस पर उसने हस्ताक्षर नहीं किये थे । प्रदर्श पी 03 पर ए से बी हस्ताक्षर शायद उसके नहीं हैं । प्रदर्श पी03 की कार्यवाही पुलिस ने मकान पर की थी । साडी की जब्ती की कार्यवाही दूसरे मकान में की थी, जो साडी महरूम रंग की थी । अनभिज्ञता जाहिर की है, कि जब्तशुदा साडी पर क्या प्रिंट था । साडी करीब 15 फुट की थी । रक्षा की लंबाई उसके बराबर अर्थात् करीब पौने छः-छः फुट थी । रक्षा की लाश पर धोती पहनी हुई थी, किस रंग की थी, वह नहीं बता सकता । इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि रक्षा ने उस समय किस रंग का ब्लाउज पहना हुआ था । रक्षा के एक पैर में बिछुआ पहना हुआ था, जो किस पैर में था, वह नहीं बता सकता है । पंचनामा के समय रक्षा के शव का सिर पश्चिम में था तथा पैर पूर्व में थे । जिस कमरे से साडी जब्त की थी, वह साडी उस कमरे में किस दिशा में रखी थी, वह नहीं बता सकता है । साडी को सीओ साहब लाये थे, जिसे उसने थाने पर देखा था । उसने साडी की जब्ती पर हस्ताक्षर नहीं किये थे ।

17. साक्षी पी०ड० 02 वीरेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है, कि करीब साढे सात साल पहले रक्षा को गला दबाकर मार दिया था, जिसकी लाश का पंचनामा पुलिस ने प्रदर्श पी01 बनाया था, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी हैं । बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि पंचनामा 29 तारीख को 09.00 बजे अस्पताल में बनाया था । पंचनामा बनाते समय रक्षा की लाख गिरीश के बरण्डा में रखी थी । वही पर उसकी अंगूठा निशानी कराई थी, फिर कहा पंचनामा हुआ, वहां कराई थी । उसे

याद नहीं है, कि पंचनामा बनाते समय रक्षा ने किस रंग का ब्जाउज पहन रखा था । रक्षा की सीधी आंख पर चोट का निशान था, जो ताजा था । पंचनामा प्रदर्श पी01 का सी से डी भाग गलत लिखा हुआ है । पंचनामा बनाते समय पुलिस ने उससे तथा वहां उपस्थित लोगों से कोई पूछताछ नहीं की थी । पंचनामा बनाते समय रक्षा की लंबाई नहीं नापी थी । वह अंदाजे से बता रहा है, कि वह करीब पांच फुट लंबी थी ।

18. मृतका के पिता पी०ड०03 रामवकील ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, कि दिनांक 28.04.2019 को दिन के समय की घटना है । 02 मार्च, 2014 को गिरीश के साथ उसकी बेटी रक्षा उर्फ लालू की शादी हुई थी । शादी में तीन लाख रूपये, एक मोटरसाईकिल, एक सोने की लर व अंगूठी व अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज का सारा सामान देकर शादी सम्पन्न की थी । इस दहेज से रक्षा के ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे । उसकी पुत्री को उसका ससुर अनार सिंह, सास कमला देवी, जेठ मनोज व चंद्रकेश व पति गिरीश तंग व परेशान करते थे । कई बार रक्षा को उसके ससुर, सास व पति ने मारा-पीटा था, जिस पर एक बार वह व उसके गांव के लोग उनको समझाने गये थे । फिर भी उन्होंने दिनांक 28.04.2019 को उसकी बच्ची को मार डाला । उसकी पत्नि सुमन को बडे मेहमान रजत कुमार ने सूचना दी थी । सूचना मिलते ही रविन्द्र, सुरेश व वीरेन्द्र तीनों रूपबास आये । बाद में वे लोग गाडी से आये । उनके आने पर पुलिस मौजूद मिली थी । उन्होंने डैड बॉडी को देखा, जिस पर चोट व नीले रगड के निशान थे तथा रक्षा की ठोडी पर भी खून चल रहा था । रक्षा की पीठ व बांहों पर भी चोट के निशान थे । उनको मौके पर रक्षा का ससुर अनारसिंह अकेला मिला था । उसके घर के अन्य सदस्य घर पर नहीं थे तथा गांव के लोग वहां इकट्ठा थे । उन्होंने उनसे पूछा कि रक्षा कैसे मरी, तो उन लोगों ने उन्हें नहीं बताया । उन्होंने चोटों व रगड के निशानों को देखते हुये अपनी संतुष्टि के लिये पोस्टमार्टम कराया । उसकी बेटी रक्षा का पुलिस ने पंचनामा प्रदर्श पी01 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । स्वयं कहा कि दहेज में रक्षा का ससुर अनारसिंह, जेठ चंद्रकेश, मनोज, सास कमला और पति गिरीश एक लाख रूपये व चार पहिया की गाडी मांगते थे । उनसे कई बार रक्षा ने कहा कि वे लोग इस मांग को करते हैं तथा तंग व मारपीट करते थे। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि ये लोग रक्षा से दहेज

की मांग दो मार्च, 2014 से ही करते थे । उसने दहेज मांगने की कोई रिपोर्ट किसी थाने में नहीं कराई । उसे रक्षा की मृत्यु की सूचना दो बजे मिली थी, जो उसकी पत्नि सुमन ने दी थी । सुमन को सूचना उसे सूचना मिलने से दस-पंद्रह मिनट पहले मिली थी । सुमन को सूचना जरिये टेलीफोन मिली थी । जिस पर सूचना मिली, वह नंबर नहीं बता सकता । मृत्यु की सूचना से पूर्व उस दिन उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । उसे उसकी पत्नि व दामाद रजत का मोबाईल नंबर याद नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि घटना वाले दिन पूजा से उसकी कोई बात नहीं हुई थी । वह रूपबास करीब साढे तीन बजे आया था । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिस समय वह मौके पर आया, उस समय पुलिस पहले से मौजूद थी व घटना की जानकारी पुलिस को पहले से थी । जिस जगह रक्षा की मौत हुई, वह घटनास्थल उसने देखा था । फिर कहा उसने जिस जगह मृत्यु हुई, उस स्थान को नहीं देखा । उसने लाश को बरामदे में देखा था । उसने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, उसके भतीजे रवि ने कराई थी । एफआईआर उसके सामने पेश की थी । इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि एफआईआर किसने लिखी थी । उसके पैर में चोट लगी हुई थी, फ्रैक्चर था, इसलिये वह थाने पर नहीं गया । रिपोर्ट उसके सामने लिखी थी, लेकिन लिखने वाले का नाम वह नहीं जानता । रिपोर्ट करीब नौ बजे लिखी थी । एफआईआर में क्या लिखा था, वह उसकी जानकारी में है । एक लाख रूपये व चार पहिया मांगने वाली बात एफआईआर में नहीं है । इस बात को एफआईआर में नहीं लिखने का कोई कारण नहीं है । पंचनामा हॉस्पीटल में बनाया था, जिसे बनाते समय वह, रविन्द्र, गजेन्द्र व जगदीश मौजूद थे । पंचनामा करीब नौ बजे बनाया था । यह पंचनामा में लिखाया था, कि रक्षा की ठोडी से खून बह रहा था। रक्षा ने पंचनामा के समय नीला धारीदार ब्लाउज व छींटदार धोती पहन रखी थी, धोती का रंग उसे ध्यान नहीं है । उसे ध्यान नहीं है, कि पंचनामा में पीठ वाली चोटें लिखी या नहीं । पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद, जब उनको लाश दी, तब लिखा था । उसके पुलिस ने बयान दिनांक 10.05.2019 को लिये थे । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि दिनांक 23.06.2015 को रक्षा के नाम से एक खेत रूपबास में खरीदा था, उसके पैसे उसने दिये थे । वह खेत गिरीश की नानी से खरीदा था, जिसका नाम वह नहीं जानता । उसका बयनामा कराया था, खरीदा नहीं था । उसने कुल पिचासी हजार रूपये दिये थे । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने

अपने दामाद गिरीश से पैसे उधार लिये हों । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि सुरेश उसका भाई है, जिसका ऑपरेशन हुआ था । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि ऑपरेशन के समय पचास हजार रूपये उसने गिरीश से उधार लिये हों । कल्पना उसकी भतीजी लगती है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि कल्पना की शादी पर गिरीश से बीस हजार रूपये उधार लिये हों । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने रक्षा के माध्यम से उसके ससुराल चार चूड़ी, दो अंगूठी, एक मंगलसूत्र, एक टीका सभी सोने के व एक चांदी की करधनी मंगाई हो तथा यह सारा सामान उसने गिरीश को वापिस नहीं दिया हो ।

19. साक्षी पी०ड०04 गजेन्द्र ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, कि जिस जगह रक्षा मरी, वहां का पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी02 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने एक साडी जरिये फर्द प्रदर्श पी03 जब्त की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है । बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि वह रामवकील का भाई हैं। प्रदर्श पी 2 नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर दो-सवा दो बजे थाने पर कराए थे। नक्शा मौका उसके सामने बनाया था। अनारसिंह के दो मकान और एक बरामदा था। रक्षा दूसरे मकान में रहती थी । जिस मकान में डैड बॉडी मिली, रक्षा उसमें नहीं रहती थी। जिस स्थान पर रक्षा मरी थी, वह स्थान उसने बाद में जाकर उसी दिन देखा था, जिस दिन रक्षा खत्म हुई। रक्षा जिस दिन मरी, उस दिन रूपवास में वे करीब पौने दो बजे आए थे। पुलिस उस समय मौजूद थी। रूपवास आते ही घटना वाले दिन उन्होंने दो-चार मिनट बाद ही उस स्थान को देखा था, जहाँ रक्षा मरी थी। उस स्थान को देखने उसके साथ उसका बडा भाई सुरेश, रविन्द्र व गाँव के दो चार लोग और थे। जिस समय वे वहाँ गए, उस समय घटनास्थल का कमरा बंद था, जिसको उन्होंने जाकर खुलवाया था। उस कमरे में सोफासेट, एक पंखा व अन्य सामान भी होगा। उसे ध्यान नहीं है, कि उस कमरे में लोहे की आलमारी रखी हो। पंखे की ऊचाई जमीन से करीब आठ-नौ फीट होगी। कमरा साफ-सुथरा था। उसे ध्यान नहीं है, कि कमरे में ऐसा कोई सामान हो, जिस पर धूल-मिट्टी जमी हो। इसके अलावा उसने कमरे में और कोई सामान नहीं देखा। सोफा पर धोती पडी थी, जो पुलिस ने उठाई थी। धोती का रंग कैसा था, वह नहीं बता सकता। उस धोती की लम्बाई-चौडाई मालूम नहीं है । घटना वाले दिन जिस कमरे में रक्षा

मरी, वह पुलिस वालों ने नहीं खोला, दूसरे अडौसी-पडौसियों ने खोला था। उन्होंने जब कमरा देखा, तब पुलिस उनके साथ नहीं गई। साडी 29 तारीख को जब्त की थी। फर्द प्रदर्श पी 03 में जब्त करते समय क्या लिखा, उसकी जानकारी में नहीं है। प्रदर्श पी 03 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर कराए थे। नक्शा पर उसके हस्ताक्षर कराए थे ।

20. साक्षी पी०ड० 05 रजत कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, कि दिनांक 28.04.2019 को समय डेढ-दो बजे वह और उसकी पत्नि पूजा किरावली में शॉपिंग कर रहे थे । उसी समय उसकी पत्नि के मोबाईल नंबर 8851032512 पर गिरीश के मोबाईल से फोन आया था, जो उसने अटैण्ड किया था । उसने पूछा कौन बोल रहा है, तो बताया मनोज बोल रहा हूं तथा कहा कि गलत नंबर लग गया है, वह बसई फोन लगा रहा था, तो उसने कहा, कि क्या बात है, बता दो, तो उसने बताया कि रक्षा उर्फ लालू ने फांसी लगा ली है । इस पर उसने कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो उन्होंने बताया कि वो मर चुकी है । वे तुरन्त 06-06.30 बजे किराये की गाडी से सपरिवार गिरीश के घर पहुंचे, तो वहां देखा कि रक्षा उर्फ लालू की डैड बॉडी पडी थी । डैड बॉडी पर डण्डो से मारपीट के निशान थे, जो पीठ, ठोडी व सिर पर थे । उसकी पत्नि पूजा रक्षा से बात करती थी, जो बताती थी कि उसकी जिन्दगी खराब हो चुकी है । उसके साथ उसका पति, सास व ससुर मारपीट करते हैं तथा दहेज में फोर व्हीलर व एक लाख रूपये की मांग करते हैं । कभी-कभी उसने भी उससे बातचीत की, तो वह परेशान रहती थी । उसने भी कई बार गिरीश को समझाया था । बचाव पक्ष जिरह में कथन किया है, कि वह, उसकी पत्नि, पिताजी गीतम, चाचा प्रतापसिंह व बाबा हुकुमसिंह आये थे । किरावली ने नगला चंद्रभान करीब 07 किलोमीटर दूरी पर है । समाचार मिलने पर वे किरावली से नगला चंद्रभान बाईक से ही गये थे । किरावली से नगला चंद्रभान उसने करीब 02.30 बजे सूचना की थी । घर समाचार दे दिया था । किरावली से नगला चंद्रभान वे 03.00 बजे पहुंचे थे तथा नगला चंद्रभान से रूपबास 04.30 बजे चले थे । उनके आने से पहले ही रूपबास में पुलिस मौजूद थी । रिपोर्ट उनके आने के बाद दर्ज हुई थी । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रिपोर्ट दर्ज होने से पहले पुलिस थाना रूपबास को घटना व घटनास्थल की पूरी जानकारी थी । उसके ससुरालीजन उससे पहले ही रूपबास आ गये थे, जो करीब आधा घण्टा पूर्व आये थे । रिपोर्ट रात्रि को 08.30 - 09.00 बजे दर्ज कराई थी । रिपोर्ट

लिखवाने में इसलिये देरी हुई, क्योंकि वे रिपोर्ट लिखवाने के लिये वकील से सम्पर्क कर रहे थे । मृतका की डैड बॉडी मकान के बरामदे में रखी मिली थी । पुलिस उस समय मौजूद थी । वह मुलजिम गिरीश के घर एक बार आया था । उसने वो कमरा देखा है, जिसमें रक्षा रहती थी । रक्षा जिस कमरे में रहती थी, वह कमरा ग्राउण्ड फ्लोर पर तथा एक कमरा प्रथम तल पर था । उसने वो स्थल देखा था, जहां रक्षा की मृत्यु हुई थी । जिस समय वह वहां पहुंचा, उस समय वह कमरा खुला हुआ था । उस कमरे में एक बैड तथा एक टेबिल थी । टेबिल की साईज पता नहीं है । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जिसको वह टेबिल कह रहा है, वह चौकी नहीं थी । अनभिज्ञता जाहिर की है, कि टेबिल साफ-सुथरी थी, कपडे से ढकी हुई थी अथवा धूल-मिट्टी लगी हुई थी । कुन्दे की नीचे टेबिल नहीं था, बल्कि बैड था । अनभिज्ञता जाहिर की है, कि बैड तथा कुन्दे के बीच की दूरी कितनी होगी । जिस कमरे में रक्षा की मृत्यु हुई, उस कमरे को देखने वालों में उसके साथ 10-12 व्यक्ति तथा पुलिस प्रशासन मौजूद था । घटना वाले कमरे की देखभाल उन्होंने बारीकी से नहीं की । इस घटना से पहले रक्षा तथा उसके मां-बाप ने कोई मुकदमा गिरीश के खिलाफ दर्ज नहीं कराया था । जिस नंबर से फोन किया वह नंबर 9518877331 था, जो गिरीश का था। रक्षा की मृत्यु का समाचार उसकी पत्नि के टेलीफोन पर आने के 10 मिनट बाद अपनी पत्नि पूजा को रक्षा की मृत्यु की सूचना दी थी। घटना वाले दिन उसके फोन पर रक्षा को कोई कॉल नहीं गया था । घटना वाले दिन रक्षा की मृत्यु की सूचना से पूर्व उसकी पत्नि की अपने पिता से कोई बात नहीं हुई थी । घटना वाले दिन पूजा की अन्य किसी रिश्तेदार से बात हुई हो, तो पूजा को पता होगा। घटना के दिन रक्षा की मृत्यु की सूचना मिलने से पूर्व पूजा ने रक्षा अथवा गिरीश के संदर्भ में उसे कोई समाचार नहीं दिया । उससे पूर्व रक्षा के मां-बाप को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं हुई थी । सूचना मिलने के बाद उसने अपने ससुराल में सूचना दी थी, जो उसने पत्नि के मोबाईल से उसकी सास वाले नंबर पर दी थी । उसे उसकी सास का मोबाईल नंबर ध्यान नहीं है । उसके सास के नंबर पर सूचना 01.30 से 2.00 बजे के बीच में दी थी । शादी के बाद रक्षा सोने की चार चूडी, दो सोने की अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र व एक चांदी की करघनी पहनकर अपने पीहर गई हो और रामवकील ने उन्हें अपने पास रख लिया हो, तो उसकी जानकारी में नहीं है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उस जेवर को रामवकील वापिस

नहीं कर रहा हो तथा इस बात को लेकर पिता-पुत्री में झगडा हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि पिता-पुत्री के झगडे में रक्षा ने आत्महत्या की हो । उसने रक्षा के शव पर ठोडी व पीठ पर डण्डे के निशान देखे थे ।

21. मृतका की माता पी०ड०06 सुमन ने साक्ष्य दी है, कि उसने उसकी दूसरे नंबर की लडकी रक्षा का विवाह मुलजिम गिरीश के साथ करीब 5 वर्ष पूर्व हिन्दू रीति-रिवाज से कस्बा रूपबास में किया था । रक्षा को विवाह में तीन लाख रूपये नगद, पैशन प्रो मोटरसाईकिल व अन्य सारा सामान दिया था । शादी के बाद से ही रक्षा को उसका ससुर अनारसिंह, सास कमला व उसका पति गिरीश चौपहिया वाहन की मांग करते हुये तंग, परेशान तथा मारपीट करते थे । यह बात उसे उसकी बेटी रक्षा ने बताई थी, जिस पर बीच में मुलजिमान को समझाने का प्रयास किया, जिस पर मुलजिमान समझ गये, जिसके बाद भी इन लोगों ने रक्षा के साथ मारपीट की थी । जिसके बाद रक्षा ने फोन किया कि वह इनकी मार खाते-खाते हार गई, जिसके बाद रक्षा खत्म हो गई । रक्षा के साथ मारपीट की थी, उसके शरीर पर निशान थे । उसे सूचना उसके बडे मेहमान रजत ने दी थी, क्योंकि रक्षा के ससुरालीजन ने रजत को फोन किया था । बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि घटना वाले दिन उसकी बडी बेटी पूजा से कोई बात नहीं हुई, ना ही फोन किया था । रजत का फोन दोपहर दो बजे आया था । यह सही है, कि उसके व उसके पति के पास अलग-अलग मोबाईल थे । रक्षा अंतिम बार ससुराल से मायके होली पर घटना से एक महीने पहले आई थी। उसे गिरीश लिवाकर नहीं आया था, वह अपने भाई के साथ आई थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि शादी राजी-खुशी हुई थी तथा रक्षा को शादी के बाद से घटना तक कोई दान-दहेज या सामान नहीं दिया था । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि शादी के बाद रक्षा को कभी कोई अचल संपत्ति खरीदकर नहीं दी । यह सही है, कि इस मुकदमे के अलावा अभियुक्त के विरूद्ध दहेज मांगने व तंग करने का मुकदमा किसी थाने में नहीं कराया । रक्षा की मौत की सूचना मिलने के समय वह घर में अकेली थी, उसका पति दूसरे घर में था। रजत ने जिस नंबर से उसके पास फोन किया, उसका नंबर नहीं बता सकती। उसके जिस नंबर पर फोन आया, उसका नंबर 7505951930 है । वह गांव से रूपबास 04.30 बजे पहुंच गई थी । रक्षा और ससुर एक ही मकान में रहते हैं । रक्षा की लाश बरामदे

(तिबारे) में रखी हुई थी तथा उसके शरीर, ठोडी, गर्दन पर चोटों तथा हाथों पर नील के निशान थे । जिस कमरे में रक्षा रहती थी, वह उसने दूसरे दिन सुबह देखा था । वह कमरा खुला हुआ था तथा उसमें क्या-क्या सामान रखा हुआ था, उसे नहीं पता । जिस समय उसने रक्षा को देखा, उस समय उसने काले रंग का ब्लाउज व सफेद साडी पहनी हुई थी, जो फटे हुये थे या नहीं, उसे ध्यान नहीं है । सुरेश उसका देवर लगता है, जिसका ऑपरेशन हुआ था । सुरेश के ऑपरेशन के लिये उन्होंने गिरीश से कोई पैसे नहीं लिये । कल्पना उसके जेठ की लडकी है, जिसकी शादी रक्षा की शादी के बाद हुई थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि कल्पना की शादी के समय बीस हजार रूपये गिरीश से उधार लिये थे । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि रक्षा ससुराल से सोने की चार चूडी, दो अंगूठी, मंगलसूत्र, एक टीका व एक चांदी की करघनी पहनकर आई हो, जिन जेवरों को उन्होंने रख लिया हो तथा रक्षा को वापिस नहीं किये हों । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि घटना वाले दिन रक्षा उनसे जेवर मांग रही हो और उन्होंने जेवर देने से मना किया हो । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा का क्रियाकर्म उन्होंने व गिरीश के परिवार वालो ने मिलकर रूपबास में किया था । रक्षा से बार-बार दहेज मांगते थे व उसे तंग व परेशान करते थे, इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने का कारण समझाईश था । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उनके द्वारा रक्षा को जेवर वापिस नहीं करने पर उसने आत्महत्या की हो, स्वयं कहा, कि उसे मारा है ।

22. मृतका की बहन पी०ड० 07 पूजा ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है, कि करीब पांच साल पहले उसकी छोटी बहिन की शादी 22 मार्च, 2014 को गिरीश के साथ हुई। रक्षा की शादी में उसके पिता ने तीन लाख रूपये नगद, सोने की लर, अंगूठी व सारा घरेलू सामान दिया था। रक्षा जब पीहर आती, तब बताती था, कि गिरीश व उसके परिवारीजन दहेज में एक लाख रूपये व चार पहिया गाडी माँगते है। रक्षा के साथ दहेज की खातिर गिरीश के साथ-साथ उसके घरवाले भी मारपीट करते थे। गिरीश शराब पीकर आता था और रक्षा के साथ शराब पीकर मारपीट करता था। उसने रक्षा के शरीर पर मारपीट के निशान देखे थे, जो रक्षा ने बताए थे। रक्षा के जेठ चन्द्रकेश ने भी रक्षा के साथ एक बार मारपीट की थी। रक्षा ने जब पुलिस को फोन करने के लिए फोन उठाया, तो चंद्रकेश ने रक्षा का फोन छीन लिया। रक्षा जब घर से बाहर जाने लगी, तो उसे किसी ने

घर से बाहर नहीं निकलने दिया। रक्षा जिस दिन मरी, उस दिन वह अपने पति के साथ दिल्ली से गढीचंद्रभान अपनी ननद की शादी में आ रही थी। उसने उस दिन रक्षा को सुबह साढे छः बजे फोन किया, तब उसने उससे पूछा कि तू कैसी है, तो उसने कहा दीदी ठीक हूँ । उस समय पीछे से फोन पर गाली देने जैसी आवाज आ रही थी। उसने पूछा कि गाली कौन दे रहा है, तो बताया कि उसकी सास गाली दे रही है, यह रोजाना का क्लेश है, दहेज के लिए गाली देती रहती है और कहती है, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। उसने रक्षा से पूछा कि सुबह से ही गाली दे रही है, तो उसने बताया कि यह शाम से ही झगडा कर रही है। उसने रक्षा को समझाया, कि तू कुछ मत कहना, शान्त रहना, जिस पर रक्षा ने कहा कि दीदी ये रोजाना का झगडा है, वह इस घर में कैसे रहेगी, इस घर में उसकी जिन्दगी खराब हो रही है। उसने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, थोडे दिन में सब ठीक हो जाएगा। उसने रक्षा से बोला कि तू उसकी ननद की शादी में नहीं आएगी, तब उसने कहा, कि आउँगी। उस समय फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिये इतनी ही बात हो पाई। उसकी रक्षा से रोजाना से कम से कम दो-तीन घण्टे बात होती थी। उसके बाद वह किरावली मार्केट में शॉपिंग के लिए गई, तब गिरीश के फोन से उसके मोबाइल पर फोन आया, तो उसके पति ने बात की थी। क्या बात हुई थी, पता नहीं, लेकिन उसके पति के चेहरे से ऐसा लग रहा था, कि कोई बात है। उसके पति उसको फोन नहीं दे रहे थे, तब उसने फोन छीनकर रक्षा के मोबाइल पर फोन लगाया, तो उसके जेठ के लडके उदय ने फोन उठाया । उसने कहा कि रक्षा से बात कराओ, तो उसने बोला कि चाची रक्षा ने फॉसी लगा ली है । उसके बाद वह अपनी ससुराल गई, वहाँ से गाडी कर रक्षा के ससुराल पहुँचे, तब बरामदे में रक्षा की लाश पडी थी। वहाँ पर उसके सास, श्वसुर, पति गिरीश व जेठ सभी घर के लोग वहाँ थे। उसने गिरीश से पूछा, कि क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो गिरीश ने बताया कि उसके साथ धोखा हो गया तथा उससे गलती हो गई। उसने पूछा, कि क्या गलती हो गई, तो उसे कुछ नहीं बताया। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया है, कि रक्षा ने दहेज मांगने की शिकायत उनसे दिनांक 14.02.2015 को की थी । उसने यह शिकायत उससे पीहर में की थी । दिनांक 18.06.2016 को भी रक्षा ने दहेज मांगने की शिकायत की थी । जब-जब वह पीहर आती, तब-तब दहेज मांगने की शिकायत मां-बाप से करती थी । दिनांक 28.04.2019 को उसने रक्षा के शरीर पर चोट के निशान

देखे थे । दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को उसने रक्षा के शरीर पर चोट के निशान देखे थे । उसने रक्षा के शरीर पर चोट के निशान, जिस दिन रक्षा मरी, उस दिन देखे थे । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस घटना से पूर्व उसके परिवारजन ने अभियुक्त व उसके घरवालों के विरूद्ध दहेज मांगने या मारपीट करने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । स्वयं कहा कि लोक-लाज की वजह से नहीं कराई थी । उसने मारपीट व दहेज मांगने वाली कोई दिनांक पुलिस बयान में नहीं बताई । दिनांक 28.04.2019 को उसकी रक्षा से फोन पर बात हुई, तब उसकी ट्रेन कौनसे स्टेशन पर थी, वह नहीं बता सकती । उसके पति उसके साथ थे । दिनांक 28.04.2019 को रक्षा के साथ झगडे वाली बात उसने उसके पति को नहीं बताई, क्योंकि उनके वहां झगडा रोजाना होता था तथा झगडा नार्मल बात थी । उसने किस मोबाइल नम्बर से रक्षा से बात की तथा उस समय रक्षा का मोबाइल नम्बर क्या था, याद नहीं है। वह दिनांक 28.04.2019 को ट्रेन से अछनेरा के लिए आई थी, जो दिल्ली से सुबह पांच बजे रवाना हुई थी। वे अछनेरा स्टेशन सुबह नौ बजे उतरे थे। उसने दिनांक 28.04.2019 को रक्षा के साथ झगडे वाली बात बाप, भाई-बहिन किसी को नहीं बताई, स्वयं कहा उस दिन उसकी ननद की शादी थी। वे दिनांक 28.04.2019 को किरावली करीब ग्यारह बजे गए थे। जिस फोन पर रक्षा का फोन आया, वह मोबाइल नम्बर उसे याद नहीं है। दोपहर डेढ बजे के आसपास उसके मोबाइल पर गिरीश के मोबाइल नम्बर से फोन आया था। गिरीश का मोबाइल नम्बर उसे याद नहीं है। उसने मनोज को फोन नहीं किया था, रक्षा को किया था। वह रूपबास शाम करीब छह-सात बजे आ गई थी। उसके साथ उसकी सास मीना ससुर गीतम, देवर रोहित, उसकी चचिया सास सर्वेश व चचिया ससुर प्रताप सिंह तथा मौहल्ले की एक दो लेडीज और थी। उस समय उसके माता-पिता रूपवास आ चुके थे। पुलिस उस समय मौके पर मौजूद थी। उसने रक्षा की गर्दन, ठोडी, पीठ, पेट तथा दोनों कंधों पर चोट के निशान देखे थे। उसने उस स्थान को नहीं देखा, जिस स्थान पर रक्षा मरी थी। उसने रक्षा की लाश बरामदे में देखी थी। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश के पिता के पास दो मकान हों। जिस समय उसने रक्षा की लाश को देखा, उसने उस समय साडी पहन रखी थी, जो हरे रंग की थी तथा हरे रंग का ब्लाउज पहन रखा था। वहाँ उपस्थित लोगों से उसने पूछा था, कि रक्षा कैसे मरी है, तो बताया कि उन्हें रक्षा की लाश बरामदे में मिली है। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि

दिनांक 28.04.2019 को उसके माता-पिता रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए या नहीं । पुलिस ने उसके बयान लिए थे। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि रक्षा के ससुर ने रक्षा के नाम रूपबास में खेत खरीदा हो, बल्कि वह खेत उसके पिता ने रक्षा को दिलवाया था। रामवकील उसके पापा तथा सुरेश चाचा है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि सुरेश का आपरेशन हुआ था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि आपरेशन के समय उसके पिता ने गिरीश से पैसे मांगे हों। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि कल्पना की शादी के समय उसके पिता ने गिरीश से बीस हजार रूपये उधार लिए हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके पिता ने रक्षा के माध्यम से उसकी ससुराल से सोने की चार चूडी, सोने की दो अँगूठी, सोने का मँगलसूत्र, एक सोने का टीका, एक चाँदी की करधनी मँगाई हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उक्त जेवरात आज तक उसके पिता ने गिरीश को नहीं लौटाए हो, स्वयं कहा कहा कि जब लिए ही नहीं, तो लौटाएँगे कैसे। यह कहना गलत है कि सभी जेवरात को पापा ने लौटाने से मना कर दिया हो, इस वजह से रक्षा परेशान रहती हो। उसकी रक्षा से जिन नम्बरों से बातचीत हुई, वह नंबर उसने पुलिस को बयान देते समय बताये थे, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण आज याद नहीं है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके पिता ने जेवरात वापिस नहीं किए, इस वजह से रक्षा ने आत्महत्या की हो । स्वयं कहा झूठा इल्जाम उसके माता-पिता पर लगाया है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश को जेवरात वापिस नहीं करने पडें, इस वजह से उन्होंने यह झूठा मुकदमा लगाया हो । स्वयं कहा रक्षा को गिरीश वगैरह ने मिलकर मारा है ।

23. साक्षी पी०ड०08 इन्द्रजीत सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 27.05.2019 को सीओ कार्यालय, बयाना में तैनात था । उस दिन सीओ साहब, बयाना ने मुलजिम गिरीश द्वारा पेश दहेज के सामान को उसके सामने जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुलजिम गिरीश को जरिए फर्द प्रदर्श पी 5 गिरफ्तार किया गया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष जिरह में कथन किया है, कि दहेज का सामान थाना रूपबास पर जब्त किया था। उक्त सामान को गिरीश ही लेकर आया था। गिरीश की गिरफ्तारी जब्ती से 15-20 मिनट पहले ही हुई थी। जब्तशुदा माल को गिरीश गिरफ्तारी से पूर्व

लेकर ट्रॉली में भरकर लाया था तथा मोटरसाइकिल को कोई चलाकर लाया था। इस सामान को लेकर उसके सामने मुलजिम गिरीश ने कोई सूचना नहीं दी, सीओ साहब को दी होगी। मुलजिम को दोपहर में करीब डेढ बजे गिरफ्तार किया था। मुलजिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके साथ आए परिजन को दी थी। मुलजिम ने गिरफ्तारी स्वयं दी थी या उसे लाए थे, यह सीओ साहब को पता होगा। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरफ्तारी से लेकर फर्द जब्ती तक गिरीश थाने पर ही रहा । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम की गिरफ्तारी से लेकर फर्द जब्ती तक वह सीओ साहब के साथ रहा था।

24. साक्षी पी०ड०09 परसराम उर्फ छोटल्ली, जो अभियोजन पक्ष का पक्षद्रोही साक्षी रहा है, ने साक्ष्य दी है, कि करीब पाँच-छह साल पहले दिन में चार-पाँच बजे गिरीश की पत्नी रक्षा स्वयं फॉसी खाकर मर गई थी। वह दुकान पर था । गिरीश की सास के पास गिरीश की चीजें, वस्त्र रखी हुई थी। गिरीश की बहू अपने माँ-बाप से परेशान थी। वह अपनी चीज, वस्त्र वापिस मॉगती थी। अभियोजन द्वारा की गई जिरह में कथन किया है, कि वह मौके पर पहुंचा, तब तक रक्षा को फॉसी से उतार लिया था। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का ए से बी व सी से डी भाग सुनकर पुलिस को नहीं देना व गलत होना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश व उसकी पत्नी रक्षा में मनमुटाव रहता हो तथा गिरीश की पत्नी ने गिरीश से तंग व परेशान होकर आत्महत्या की हो। गिरीश रिश्ते में उसका भाई लगता है, परन्तु इस सुझाव को गलत होना बताया है, कि वह उसे बचाने के लिये झूठे बयान दे रहा हो । बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश व उसके परिवारीजन रक्षा को राजीखुशी प्रेम से रखते थे। वह गिरीश का पडौसी है । उसने कभी भी गिरीश व रक्षा के बीच मनमुटाव व गृह क्लेश नहीं देखा। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश रक्षा से इतना प्रेम करता था, कि गिरीश ने खेत खरीदकर रक्षा के नाम करवा दिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा का जेवर उसके माता-पिता ने रख लिया था, जिसको वह रक्षा के लिए वापिस नहीं कर रहे थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस बात पर रक्षा व उसके माता-पिता में मनमुटाव था, जिससे रक्षा परेशान रहती थी तथा रक्षा ने अपने माता-पिता के व्यवहार से परेशान होकर आत्महत्या की।

25. साक्षी पी०ड० 10 रमेश भी अभियोजन पक्ष का पक्षद्रोही साक्षी रहा है, जिसने साक्ष्य दी है, कि करीब पाँच-छह साल पहले दिन में चार-पाँच बजे गिरीश की पत्नी रक्षा स्वयं फॉसी खाकर मर गई थी। उसे नहीं पता, कि उसने फॉसी क्यों लगाई । अभियोजन पक्ष की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग सुनकर पुलिस को नहीं लिखवाया जाना व गलत लिखा होना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश व उसकी पत्नी रक्षा में मनमुटाव रहता हो। वह मौके पर पीछे पहुँचा था, तब तक रक्षा को फॉसी से नीचे उतार लिया था, जिसे परसराम व एक व्यक्ति ने उतारा था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश व उसकी पत्नी रक्षा में मनमुटाव रहता हो तथा गिरीश की पत्नी ने गिरीश व उसके परिवारीजन द्वारा दहेज की मॉग से तंग व परेशान होकर आत्महत्या की हो। गिरीश रिश्ते में पडौसी के नाते उसका भाई लगता है। बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश व उसके परिवारीजन रक्षा को राजी-खुशी प्रेम से रखते थे। वह गिरीश का पडौसी है । उसने कभी भी गिरीश व रक्षा के बीच मनमुटाव व गृह क्लेश नहीं देखा। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश रक्षा से इतना प्रेम करता था, कि गिरीश ने खेत खरीदकर रक्षा के नाम करवा दिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा का जेवर उसके माता-पिता ने रख लिया था, जिसे वह रक्षा को वापिस नहीं कर रहे थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस बात पर रक्षा व उसके माता-पिता में मनमुटाव था, जिससे रक्षा परेशान रहती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा ने अपने माता-पिता के व्यवहार से परेशान होकर आत्महत्या की है। यह सही है, कि गिरीश व उसके परिवारीजन ने रक्षा से कभी कोई दहेज की माँग नहीं की।

26. चिकित्सकीय साक्षी पी०ड० 11 डॉ० ओम भारती ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 29.04.2019 को चिकित्साधिकारी के पद पर सीएचसी रूपबास में पदस्थापित था। उस दिन मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका रक्षा उर्फ लालू का पोस्टमार्टम पुलिस तहरीर पर किया गया, जिसमें उसके अलावा डॉ गौरव कुमार भी बोर्ड के सदस्य थे। पोस्टमार्टम रूम में बॉडी को रखने के बाद पोस्टमार्टम शुरू करने से पहले बॉडी का बाह्य परीक्षण किया गया, जिसके शरीर के ऊपरी भाग पर कोई भी जाहिरा चोट का निशान नहीं था। पूरे शरीर पर राइगर मौर्टिस उपस्थित थी। मृतक के गले पर लिगेचर मार्क उपस्थित थे,

जो गर्दन के सामने से होते हुए बॉए कान के पीछे और गर्दन के पीछे से होते हुए बॉए कान के पीछे तक मौजूद थे। पोस्टमार्टम के दौरान गले की थायराइड ग्लेण्ड एवं कार्टिलेज और कीक्वाइट कार्टिलेज का फ्रैक्चर था एवं गर्दन की हड्डी सी2, सी3 व सी4 में फ्रैक्चर था। गर्दन की नसें कैरोटिड भी फटी पडी थी। मेडिकल बोर्ड की कॉमन राय में मृतका रक्षा की मृत्यु का कारण सांस के रूकने व दम घुटने के कारण होना पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है, जिस पर ए से बी बोर्ड की राय, सी से डी उसके व ई से एफ डॉ गौरव कुमार के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ कार्य करने के कारण पहचानता है । बचाव पक्ष जिरह में कथन किया है, कि डॉ गौरव कुमार मेडिकल कॉलेज धौलपुर में हैं। रक्षा का पोस्टमार्टम करने से पहले उसका किसी प्रकार का एक्सरे नहीं कराया गया। उन्हें रक्षा की गर्दन की हड्डी पोस्टमार्टम प्रोसीजर में टूटी मिली। रक्षा की हड्डी हैंगिंग की वजह से शरीर के वजन के कारण टूटने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। गर्दन पर जो निशान पाए गए, वह सामने की तरफ गहरे थे, पीछे की तरफ हल्के थे। इस सुझाव को स्वीकर किया है, कि उक्त निशानात हैगिंग के दौरान ही आना संभव है। उन्होंने पुलिस तहरीर पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की थी, वह तहरीर पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान रक्षा की पहचान उसके परिजन रविन्द्र व सुरेश सिंह द्वारा की गयी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहचानकर्ता रविन्द्र व सुरेश के हस्ताक्षर नहीं कराये गए। दौराने पोस्टमार्टम मृतका के स्टोमक का परीक्षण किया गया था। स्टोमक में भोजन की मात्रा बहुत कम उपस्थित थी, जो सेमीडाईजेस्टिव थी । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उन्होंने एबडोमन से कोई विसरा लेना उचित नहीं समझा । उन्होंने लंग्स को ऑपरेट करके देखा था। लंग्स में किसी तरह का कोई कार्बन नहीं था । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मृतका की गर्दन की बाह्य चोट गर्दन को दबाने से नहीं आकर, हैंगिंग से आना संभव है ।

27. साक्षी पी०ड० 12 सतीश परमार अभियोजन पक्ष का पक्षद्रोही रहा है, जिसने साक्ष्य दी है, कि करीब छह साल पहले दोपहर ग्यारह-बारह बजे गिरीश की पत्नी रक्षा ने फॉसी लगा ली थी। रक्षा के पिताजी वगैरह उसके जेवरात ले गए थे । उसने अपने पीहर पक्ष के लोगों को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उसके जेवरात नहीं लौटाए, जिस कारण रक्षा ने फॉसी लगाई थी। अभियोजन पक्ष जिरह में

गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखवाया जाना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश व रक्षा में आपस में झगडा होता रहता हो तथा बतौर पति-पत्नी गिरीश व रक्षा के सम्बन्ध अच्छे नहीं हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश व उसके परिजन रक्षा को दहेज की खातिर तंग व परेशान करते हों। गिरीश से उसका मकान करीब दो-ढाई सौ कदम की दूरी पर है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि रक्षा को गिरीश वगैरह परेशान करते हों, बल्कि उसका उनके घर रोजाना आना-जाना था। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि रक्षा को गिरीश वगैरह उसकी अनुपस्थिति में तंग व परेशान करते हों। गिरीश उसका भतीजा लगता है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि मुलजिम उसका भतीजा लगने के कारण उसे बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा के माता-पिता उसके जेवरात ले गए, जिस बात का तकाजा उसके सामने कई बार रक्षा ने अपने माता-पिता से किया। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा के माता-पिता ने जेवरात लौटाने से मना कर दिया, जिस बात से रक्षा परेशान रहती थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा को गिरीश व उसके सास-ससुर बडे प्रेम से रखते थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश व उसके पिता ने रक्षा के नाम से जमीन खरीदकर उसके नाम रजिस्ट्री कराई थी, जो उसके सामने हुई थी, जिसमें वह गवाह था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उक्त जमीन खरीद का पूरा पैसा गिरीश व उसके पिता अनारसिंह ने वहन किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने गिरीश व रक्षा के बीच कभी कोई झगडा व विवाद कभी नहीं सुना ।

28. अनुसंधान अधिकारी पी०ड०13 चेतराम सेवदा ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 28.04.2019 को सीओ, बयाना के पद पर पदस्थापित था। उसे दिनांक 29.04 2019 को पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुयी थी। उसने दिनांक 29.04.2019 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एक मुस्तगीस व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। हालात मौका पुश्त पर अंकित है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 1 है, जिसको उसने शामिल पत्रावली किया था। फर्द जब्ती साडी प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुस्तगीस व जी से एच उसके

हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। दौराने अनुसंधान गवाहान परसराम, रमेश, सतीश, पांच्याराम, पूरनसिंह, बनवारीलाल, खेमसिंह, ठाकुरदास, राकेशसिंह, रविन्द्रसिंह, रामवकील सिंह, सुमन, पूजा, रजत कुमार व रविन्द्र सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 है, जो शामिल पत्रावली की गई। फर्द जब्ती दहेज का सामान स्त्रीधन प्रदर्श पी 4 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम गिरीश तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम गिरीश प्रदर्श पी 5 है, जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान, ई से एफ मुलजिम, जी से एच उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर मुलजिम का फोटो चस्पा है। एक साडी इस्तेमाली की फर्द जब्ती प्रदर्श पी 10 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 11 है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया था। शादी का कार्ड प्रदर्श पी 12 है, सीडी प्रदर्श पी 13 है व काल डिटेल प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द इत्तला दफा 27 प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी दो स्थानों पर मुलजिम व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मोटरसाईकिल की आरसी प्रदर्श पी 16 है, जिसे शामिल पत्रावली किया था। मृतका के फोटोग्राफस कुल पाँच प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम गिरीश कुमार के खिलाफ अपराध धारा 498(ए), 304(बी) प्रमाणित मानकर पत्रावली पुलिस अधीक्षक, भरतपुर को प्रेषित की । बचाव पक्ष जिरह में कथन किया है, कि मृतका की मृत्यु दिनांक 28.04.2019 को समय दिन में एक बजे हुई थी। उसे ध्यान नहीं है कि उक्त घटना की जानकारी उक्त दिनांक को उसे दी गयी या नहीं। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गम्भीर अपराध होने के कारण एसएचओ का यह दायित्व था, कि उक्त घटना की जानकारी उसके देता। वह नहीं बता सकता, कि उसे उक्त घटना की जानकारी किस दिनांक को व किस समय हुई। परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट थानाधिकारी के समक्ष पेश की थी, जो दौराने अनुसन्धान उसके समक्ष आयी थी। उसके अनुसंधान में सामने नहीं आया था कि उक्त घटना की रिपोर्ट देरी से हुई हो। मृतका का पोस्टमार्टम उसे अनुसंधान प्राप्त होने के बाद हुआ था। पोस्टमार्टम की किसी ने अनुशंसा नहीं की, स्वयं कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम करवाया गया। सुपुर्दगी लाश पोस्टमार्टम के बाद की गयी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि किसी पुलिस अधिकारी के जिम्मे किसी मामले का अनुसंधान

होने के पश्चात उस मामले में थानाधिकारी अनुसंधान अधिकारी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसे अनुसंधान प्राप्त होने का समय ध्यान नहीं है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने मृतका की लाश को सुपुर्द नहीं किया, स्वयं कहा एसएचओ ने सुपुर्द किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि एसएचओ ने उसे मामले का अनुसंधान प्राप्त होने के पश्चात लाश सुपुर्द की थी। प्रदर्श पी 12 कार्ड किसी व्यक्ति विशेष से जब्त नहीं किया, स्वयं कहा कि मुस्तगीस पक्ष ने लाकर दिया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 12 में प्रेषक के रूप में रामवकील सिकरवार लिखा हुआ है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि प्रदर्श पी 12 रामवकील सिकरवार को ही प्रेषित किया गया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने पोस्टमार्टम से पूर्व मृतका की लाश का नजरी मुआयना नहीं किया हो। वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता, कि पत्र प्रदर्श पी 14 में किस व्यक्ति के मोबाइल नम्बर का विवरण मांगा गया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उक्त पत्र में मात्र मोबाइल नम्बर अंकित है, किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने अनुसंधान से पूर्व तहरीर रिपोर्ट व प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया हो। यह स्वीकार है, कि उसने अनुसंधान में ससुर अनारसिंह, मृतका की सास, जेठ चन्द्रकेश व मनोज को अपराधी नहीं माना तथा उनके विरूद्ध कोई जुर्म प्रमाणित नहीं पाया। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि अनुसंधान से यह पाया कि तहरीरी रिपोर्ट में सास-ससुर व जेठ का नाम गलत रूप से लिखवाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि तहरीरी रिपोर्ट में घटना की सर्वप्रथम सूचना रजत को मिलना अंकित है। उसने इस बारे में तफ्तीश नहीं की कि रजत को उक्त सूचना किस माध्यम से या किस मोबाइल नम्बर पर प्राप्त हुई। उसे ध्यान नहीं है, कि मृतका घटना के समय मोबाइल रखती थी या नहीं। उसे ध्यान नहीं है कि घटना के दिन मृतका की उसके किसी परिजन से फोन पर बात हुयी या नहीं। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि घटना के दिन मृतका की उसके परिवारीजनों से फोन पर कोई बातचीत होना नहीं पाया। इस सुझाव को अस्वीकार है, कि घटनास्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 में दर्शित एक्स स्थान पर मृतका की लाश रखी होना परिवादी ने बताया था। यह सही है, कि मौका मुआयना के दौरान घटनास्थल पर कोई वस्तु वजह सबूत नहीं मिली । यह सही है, कि मृतका की मृत्यु एक्स स्थान पर नहीं हुयी।

इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 में उस विशिष्ट स्थान को पृथक से दर्शित नहीं किया है, जहाँ मृतका ने फॉसी लगायी थी। स्वयं कहा कि प्रथम मंजिल के कमरे पर फॉसी लगायी थी, जो नक्शा मौका में अंकित है। जिस जगह मृतका ने फॉसी लगायी, वहाँ फंदे के नीचे बडा टेबल, जिस पर स्टूल रखा हुआ मिला था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मेज की ऊपर रखी छोटी मेज अथवा स्टूल की उँचाई नक्शा मौका में अंकित नहीं है। छोटी मेज से कुन्दे की उँचाई साढे पाँच से छह फीट पायी गयी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि घटनास्थल पर एफएसएल टीम से जॉच नहीं करायी तथा हालात मौका मौका मुआयना के बाद ही लिखे हैं। उसे याद नहीं है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाने के बाद हालात मौका लिखा हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि तफ्तीश में सामने नहीं आया कि अभियुक्त ने मृतका या उसकी पुत्री के नाम कहीं पांच बीघा जमीन खरीदी हो । उसकी तफ्तीश में यह नहीं पाया गया कि मृतका का सारा जेवर उसके माता-पिता के पास रखा हो और इस बात को लेकर मृतका व उसके माता-पिता में विवाद रहता हो । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया हो और अभियुक्त के विरूद्ध गलत तफ्तीश की हो ।

29. साक्षी पी०ड० 14 पूरनसिंह भी अभियोजन पक्ष का पक्षद्रोही साक्षी रहा है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है, कि करीब छह साल पहले सुबह नौ बजे गिरीश की पत्नी, जिसका नाम उसे नहीं पता ने फॉसी लगा ली थी। उसे नहीं पता, कि उसने फॉसी क्यों खाई । अभियोजन पक्ष की जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 18 का ए से बी भाग गलत होना व पुलिस को नहीं लिखवाया जाना बताया है। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि गिरीश व रक्षा में आपस में झगडा होता रहता हो तथा बतौर पति-पत्नी गिरीश व रक्षा के सम्बन्ध अच्छे नहीं हों। उसकी जानकारी में नहीं है, कि गिरीश व उसके परिजन रक्षा को दहेज की खातिर तंग व परेशान करते हों। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश का मकान अलग है। गिरीश से उसके मकान से करीब पचास कदम की दूरी पर है। गिरीश गाँव का नाते उसका भाई लगता है। उसे नहीं पता कि दहेज की खातिर तंग व परेशान करने के कारण रक्षा ने आत्महत्या की हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि मुलजिम उसका भाई लगने के कारण उसे

बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने गिरीश व उसकी पत्नी रक्षा में कभी कोई झगडा नहीं देखा। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश व उसके उसके परिवार वालों ने कभी रक्षा व उसके परिवारवालों से दहेज की कोई माँग नहीं की। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि दहेज की मांग बाबत उसने कभी नहीं सुना । इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि गिरीश व उसके पिता ने पत्नि रक्षा के नाम से रूपबास में जमीन खरीदी थी, जिसका पैसा गिरीश व अनारसिंह ने दिया था । उसकी जानकारी में नहीं है, कि रक्षा के घरवाले रक्षा का जेवर लेकर चले गये हों व उसका झगडा माता-पिता से रहता हो ।

30. साक्षी पी०ड०15 रामनाथ सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह दिनांक 28.04.2019 को पुलिस थाना रूपवास पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन एक तहरीरी रिपोर्ट रविन्द्रसिह पुत्र नेत्रपालसिंह ने उपस्थित थाना होकर पेश की, जिस पर मुकदमा नं. 254/2019 धारा 498(ए), 304(बी) भा.द.स. में कायम कर अनुसंधान हेतु तत्कालीन वृताधिकारी चेतराम सेवदा को प्रेषित की गई, जो प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी रविन्द्र सिंह के हस्ताक्षर, सी से डी कार्यवाही पुलिस तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी रविन्द्र तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मृतका की लाश सीएचसी रूपबास की मॉर्चरी में रखी होने के कारण दिनांक 29.04.2020 को उसके द्वारा मृतका के पंचायतनामा की कार्यवाही की गई थी। पंचायतनामा लाश प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान चेतराम सेवदा आरपीएस द्वारा पत्रावली थाने पर प्रेषित की गई थी, जिस पर आरोपी गिरीश कुमार के खिलाफ अपराध धारा 498(ए), 304(बी) भा.द.सं. के तहत अपराध प्रमाणित पाये जाने पर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। बचाव पक्ष जिरह में अनभिज्ञता जाहिर की है, कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 प्राप्त होने से पूर्व थाने पर उसे इस घटना की सूचना प्राप्त हुई थी या नहीं। वह नहीं बता सकता कि वह उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही घटनास्थल पर जा चुका था या नहीं। वह नहीं बता सकता कि मृतका के शव को घटनास्थल तक मॉर्चरी तक कौन व किस प्रकार लाया। उसे मृतका की लाश का पंचनामा बनाये जाने से पूर्व किसी भी व्यक्ति ने इस घटना की सूचना नहीं दी थी। स्वयं कहा कि उसे

इस बारे में समय अधिक हो जाने से ध्यान नही है। मृतका के शव का पंचनामा बनाते समय मृतका की गर्दन के दोनों ओर हैंगिग के निशान पाये गये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मृतका के शरीर पर पंचनामा बनाते समय किसी भी अंग पर ताजा चोट के निशान नहीं थे, जिसके सिर्फ गले पर निशान थे। मृतका के शव पर वो सभी जेवरात थे, जो आमतौर पर गृहिणी पहनती है। उसने पंचनामा तैयार करते समय मौके पर हाजिर किसी भी व्यक्ति से मृत्यु के कारणों बाबत कोई पूछताछ नहीं की। उसे मौखिक रूप से ध्यान नही है, कि वह मृतका की लाश को मोर्चरी पहुंचाने से पहले तथा तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले ही रोजनामचा में रवानगी रपट डालकर मौके पर रवाना हो गया हो। स्वयं कहा कि रिकार्ड देखकर बता सकता है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस प्रकरण में बाद अनुसंधान उसके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने इस मुकदमें से सम्बन्धित पत्रावली के सभी दस्तावेजात ध्यानपूर्वक देखे व पढे थे। मौके पर अपराध से सम्बन्धित सभी आलामात को एकत्रित करकर पत्रावली पर पेश किया है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि इस मुकदमें में घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जाप्ते के मौके पर रवाना होने की दशा में रवानगी की रोजनामचा रपट आवश्यक रूप से डाली जाती है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि जाप्ते द्वारा वापिस थाना आने पर भी मौके पर पाये गये आलामात व हालातों के बारे में रोजनामचा रपट डाला जाना जरूरी है। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने ऐसी आमद व रवानगी की रपटें स्वयं नहीं देखी। वह नहीं बता सकता कि वक्त पंचनामा या पुलिस के मौके पर पहुंचने पर मृतका के पास या उसके कब्जे में कोई मोबाईल मिला हो या पाया गया हो। इस प्रकरण में मृतका के बहनोई रजत का मोबाईल बतौर वजह सबूत कितना महत्वपूर्ण था, यह बात अनुसंधान अधिकारी ही बता सकता है। स्वयं कहा कि उसने प्रकरण में कोई जप्ती नहीं की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि उसने अनुसंधान के बाद उसके सामने पेश की गई पत्रावली के आधार पर ही आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने अपराध प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में मृतका, उसकी बहन पूजा, रजत का मोबाईल या उक्त मोबाइलों की कॉल डिटेल जप्त करना आवश्यक नही पाया। उसके अनुसार इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने तफ्तीश में कोई नजर आती हुई कमी नहीं छोडी थी।

31. साक्षी पी०ड०16 राकेश ने पक्षद्रोही होते हुये साक्ष्य दी है, कि उसके मौसी के लडके गिरीश को रक्षा उर्फ लालों ब्याही थी। उसे शादी की दिनांक याद नहीं है । करीब 7-8 वर्ष पूर्व गिरीश की शादी हुई थी । रक्षा मर चुकी है । रक्षा ने फांसी लगा ली थी । उसे नहीं पता, कि रक्षा ने फॉसी क्यों लगाई, क्योंकि वह मौके पर नहीं था। वह रक्षा के मरने के चार-पाँच घण्टे बाद पहुंचा था। गिरीश व उसकी पत्नि रक्षा में कभी कोई झगडा नहीं होता था और न ही उसने कभी इन दोनो के बीच झगडे के बारे में सुना था। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 21 का ए से बी भाग सुनकर गलत होना व नहीं लिखवाया जाना बताया है । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि दिन में 12 बजे अनारसिंह के घर से हल्लाहेल की आवाज आयी हो और वह वहाँ गया हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि वह वहाँ जाकर आदमियों के पास बैठा हो और मृतका रक्षा के फांसी लगाने के कारणों की पूछताछ की हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसके मौसी के लडके गिरीश की पत्नि के साथ उसका पति झगडा करता हो और घटना से चार-पाँच दिन पहले दोनो के बीच कहासुनी हुई हो और इसी से नाराज होकर रक्षा ने फांसी लगा ली हो। इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि मुलजिम गिरीश मृतका को कम दहेज लाने के लिए तंग व परेशान करता हो, जिसके कारण रक्षा ने फांसी लगा ली हो । बचाव पक्ष जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मुलजिम ने शादी के बाद मृतका के नाम से खेत खरीदा था, जिसका भुगतान मुलजिम व उसके पिता ने किया था। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि कि मृतका ससुराल में राजीखुशी व अच्छी तरह रहती थी। उसने इन दोनो के बीच कभी कोई विवाद नही देखा।

32. साक्षी पी०ड०17 रविन्द्र सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है, कि उसकी चचेरी बहन रक्षा की शादी गिरीश के साथ दिनांक 02.03.2014 को हुई थी, जिसकी शादी में करीब दस लाख रूपया खर्चा किया था । शादी के बाद रक्षा के ससुराल में दहेज के लिए झगडा होता रहता था। रक्षा का ससुर अनारसिंह, सास कमलादेवी, जेठ मनोज, चन्द्रकेश आदि घर के सदस्य दहेज में चार पहिया गाडी व एक लाख रूपया की मांग करते थे। उसके साथ मारपीट भी करते थे, जिस पर उसके चाचा रामवकील, सुरेशचंद दोनो रूपबास आये तथा वहाँ पर राठौड मौहल्ला के लोगों को बुलाकर उनके सामने रक्षा के ससुराल वालों को समझाया, जिस पर उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा

नही करेंगे। दिनांक 28.04.2019 को रक्षा की बडी बहन पूजा के पति रजत से उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि रक्षा खत्म हो चुकी है। वह, रामवकील व वीरेन्द्र रक्षा के ससुराल रूपबास आये, तो उन्हें रक्षा का शव बरामदे में रखा हुआ मिला। उन्होंने वहाँ उपस्थित लोगो से पूछा कि रक्षा की मृत्यु कैसे हुई है, तो उन लोगो ने कुछ नहीं बताया। मौके पर पुलिस भी उपस्थित थी। उसके बाद दूसरे दिन रक्षा के शव का पोस्टमॉर्टम हुआ और उसी दिन उन्होंने रक्षा का दाह संस्कार किया। रक्षा के शरीर पर चोटें थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जो प्रदर्श पी 19 है, जिस पर ए से बी दो स्थानों पर उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 20 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने रक्षा की शव का पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी 1 है, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। पुलिस द्वारा रक्षा की साडी को जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 3 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। रक्षा की लाश को उसके द्वारा सुपुर्दगी में लिया गया था। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को मृतका के पाँच रंगीन फोटोग्राफ्स दिये थे, जो शामिल पत्रावली है। बचाव पक्ष द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि अभियुक्त एवं उसके परिवारजन की ओर से शादी के समय या शादी से पूर्व दहेज में किसी रकम या वस्तु की मांग नहीं की गई थी। शादी दोनो पक्षों की सहमति व राजीखुशी से हुई थी। वह नही बता सकता कि इस मुकदमें के अलावा अभियुक्त या उसके परिवारजन खिलाफ इस मुकदमें से पूर्व मृतका के साथ दहेज की मांग या मारपीट करने का अन्य कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया हो। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 वकील साहब सोबरन सिंह से रूपबास में लिखवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 लिखवाते समय उसे जानकारी नही थी, कि रक्षा को शादी के समय दहेज में क्या-क्या सामान दिया गया है, रक्षा से किस दिनांक या किस अवसर पर दहेज की मांग या मारपीट की गई थी व अभियुक्त द्वारा रक्षा से दहेज में क्या मांग की जाती थी। उसे रक्षा की मृत्यु की जानकारी पूजा के पति रजत के मोबाईल से मिली थी। रजत ने उक्त सूचना उसे नहीं दी, बल्कि उसके चाचा रामवकील को दोपहर बारह-साढे बारह बजे दी थी। फोन पर सूचित करते समय सूचनाकर्ता ने रक्षा की सुबह नौ-साढे नौ बजे मृत्यु होना बताया था। उसे

रामवकील ने सूचना मिलने के करीब 10-15 मिनट बाद अवगत करवा दिया था। वे सूचना पाकर दोपहर करीब डेढ-दो बजे रूपबास पहुंच गये थे। उसे ध्यान नहीं है, कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 घटना के दिन शाम को पाँच-साढे पाँच वकील साहब के घर पर लिखवाई हो । थाने में उसी दिन रात में पेश किया था । घटनास्थल से मृतका की लाश को पुलिस दोपहर ढाई-तीन बजे अस्पताल लाई थी, परन्तु पुलिस के साथ वे लोग भी थे। घटना के दिन राजकीय व्यस्तता के कारण रक्षा का पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ था, जो दूसरे दिन सुबह हुआ था। उसे ध्यान नहीं है, कि पोस्टमॉर्टम कितने बजे हुआ। उसे ध्यान नहीं है कि पंचनामा प्रदर्श 01 पी पोस्टमॉर्टम से पहले बनाया था या बाद में। पंचनामा बनाते समय में, रामवकील चाचा सुरेशचंद, गजेन्द्र, वीरेन्द्र, पुष्पादेवी, सुमन आदि लोग मौजूद थे। पुलिस ने पंचनामा प्रदर्श पी 1 पर मौजूद सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि पुलिस ने पंचनामा बनाते समय उन सभी के बयान ले लिये थे। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका शायद घटना के दूसरे दिन बनाया था । इस सुझाव को अस्वीकार किया है, कि उसने पुलिस द्वारा मौका मुआयना किये जाने से पहले घटनास्थल नही देखा हो। उसने देखा, तब घटनास्थल वाला कमरा खुला हुआ था, जहाँ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। उसने जिस समय कमरा देखा, उस समय उस कमरे में पंखा था, जिसके नीचे टेबिल थी तथा टेबल पर रक्षा व अन्य लोगों के पैरों के निशान थे। कमरे में सोफा था, जिस पर साडी पड़ी हुई थी, साडी का रंग लाल महरूम था, जिस पर सफेद धारी थी। उसे ध्यान नहीं है, कि टेबिल से पंखे की ऊंचाई कितनी थी। साडी पर किसी प्रकार के निशानात नहीं थे। नक्शा मौका घटना के दूसरे दिन बनाया था। नक्शा मौका बनाते समय उसके अलावा रामवकील, सुरेशचंद तथा पुलिस थी। नक्शा मौका बनाते समय पुलिस ने सिर्फ साडी जप्त की थी और सामान जप्त नही किया था। नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर थे तथा रामवकील व सुरेश के हस्ताक्षर थे। वह पंखे का रंग वह नहीं बता सकता। साडी इस्तेमाली थी। रक्षा का दाह संस्कार रूपबास में ही हुआ था। दाह संस्कार में वह, उसके चाचा रामवकील व उसके सभी परिवारीजन मौजूद थे। रक्षा के ससुराल पक्ष से गिरीश, अनारसिंह व अन्य परिवारीजन दाहसंस्कार में मौजूद थे। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि रक्षा का दाहसंस्कार राजीखुशी व शांतिपूर्वक हुआ था। उसे नहीं पता कि रक्षा का जेवर चाचा रामवकील के पास हो और इस बात को लेकर रक्षा व रामवकील में

आपस मतभेद हो। इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि यह मुकदमा उसने उसके चाचा रामवकील के कहने से दर्ज करवाया था। उसे नहीं पता कि गिरीश ने रक्षा के नाम पाँच बीघा जमीन क्रय की हो।

33. इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से साक्ष्य प्रतिरक्षा में साक्षी डी०ड० 01 वीरेन्द्र कुमार जैन को परीक्षित करवाया है, जिसने सशपथ साक्ष्य दी है, कि वह तहसील परिसर रूपबास में डीडराईटर का कार्य करता है। उसने एक बयनामा दिनांक 01.06.2015 को श्रीमती प्रयागदेई पत्नि स्व. खैमसिंह, निवासी रूपबास की तरफ से खसरा नं 193 तीन बीघा बारह बिस्वा का श्रीमती रक्षा पत्नि गिरीश कुमार चौहान, निवासी राठौड मौहल्ला रूपबास के हक में तहरीर किया था। तत्पश्चात प्रयागदेई व रक्षा के हस्ताक्षर के साथ-साथ गवाह के रूप में सतीश परमार व सोनम के हस्ताक्षर करवाये। सम्पूर्ण बयनामा विक्रेता व क्रेता एवं दोनों गवाहों को पढकर सुनाया गया। इसके बाद असल बयनामा विक्रेता प्रयागदेई को संभला दिया गया। उक्त बयनामा उपपंजीयक रूपबास, जिला भरतपुर के समक्ष दिनांक 23.06.2015 को पंजीकृत हुआ था। बयनामा प्रदर्श डी 1 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी क्रेता रक्षा के हस्ताक्षर, एक्स स्थान पर विक्रेता प्रयागदेई की अंगूठा निशानी तथा ई से एफ व जी से एच गवाहान सतीश कुमार व सोनम के हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि वह बयनामा के पक्षकारान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता और न ही इनके शादी-ब्याह में शामिल हुआ। इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है, कि रक्षा के साथ उसके ससुराल में कैसा व्यवहार किया जाता था। उसके पास बयनामा लिखते समय पक्षकारान मौजूद आये थे। वह नही बता सकता, कि उस समय रक्षा के पिता रामवकील भी आये हो। वह नहीं बता सकता कि बयनामा में लिखी जमीन मैन हाईवे पर खुलती हो। उसने रकम नही संभाली थी, विक्रेता से पूछा था। वह बयनामा में वर्णित जमीन की वर्तमान प्रचलित कीमत नहीं बता सकता। उसे जानकारी नहीं है, कि गिरीश इस जमीन को वापस अपने नाम करवाना चाहता हो। स्वयं कहा कि बयनामा लिखने के बाद उसका किसी पक्षकार से कोई सम्पर्क नही रहा।

34. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर सवर्प्रथम यह विचार किया जाना अपेक्षित है, कि क्या मामले में

मृतका रक्षा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षो के भीतर असामान्य परिस्थितियों में कारित हुई है, तो इस सम्बंध में संबंधित थाना पर प्रस्तुत की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 में मृतका का विवाह अभियुक्त के साथ दिनांक 02.03.2014 को सम्पन्न होना अंकित किया गया है, जिस तथ्य की पुनरावृत्ति मृतका के पिता पी०ड० 3 रामवकील, मृतका की माता पी०ड० 6 सुमन, बहिन पी०ड० 7 पूजा एवं रिपोर्टकर्ता पी०ड० 17 जो मृतका का चचेरा भाई है ने भी की है। पत्रावली पर अभियोजन की ओर से मृतका एवं अभियुक्त के विवाह के अवसर पर छपवाई गई आमंत्रित पत्रिका प्रदर्श पी 12 भी प्रस्तुत की गई, जिसके अवलोकन से भी मृतका का अभियुक्त के साथ दिनांक 02.03.2014 को विवाह सम्पन्न होना प्रकट हुआ है। अभियुक्त ने उसके स्पष्टीकरण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में भी मृतका को अपनी पत्नि होना स्वीकार किया है तथा अभियुक्त की ओर से इस बाबत् उपलब्ध उपर्युक्त साक्ष्य का कोई खंडन नहीं किया जा सका है। साथ ही मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारी पी०ड० 11 डा0 ओमभारती की सशपथ साक्ष्य एवं उनके द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी० 8 के अनुसार भी मृतका की मृत्यु सांस रुकने एवं दम घुटने के कारण होना जाहिर आया है, जिससे मृतका रक्षा की मृत्यु उसके विवाह से सात वर्षो के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होना प्रकट होता है।

35. अब यदि अभियुक्त द्वारा मृतका से विवाह के पश्चात दहेज की मांग किये जाने तथा उक्त मांग की पूर्ति नहीं होने पर मृतका के साथ मारपीट एवं उसे प्रताडित किये जाने का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है, कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध घर की चारदीवारी के भीतर घटित होने वाला अपराध रहा है, जिसके संबंध में परिजनों की ही साक्ष्य उपलब्ध होना स्वाभाविक है, परन्तु ऐसे मामलों में स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन के अभाव में, परिजनों की साक्ष्य को अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं सुदृढता से विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है । इस प्रकरण में पीडिता के माता-पिता, दीदी एवं जीजा ने मृतका से अभियुक्त द्वारा दहेज मांगे जाने के कथन अवश्य किये है, परन्तु पीडिता के पिता पी०ड० 3 रामवकील ने अभियुक्त द्वारा पीडिता से एक लाख रुपये व चौपहिया वाहन की मांग किया जाना बताया है, जबकि मृतका की मां पी०ड० 6 सुमन ने मात्र अभियुक्त द्वारा मृतका से चौपहिया वाहन की मांग करना कहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि मृतका के पिता पी०ड० 3 ने मृतका

से उक्त मांग उसके सास, ससुर, पति, जेठ चन्द्रकेश व मनोज द्वारा करना बताया है, जबकि मृतका के जीजा पी०ड० 5 रजत एवं मृतका की माता पी०ड० 6 सुमन ने मृतका से उक्त मांग मात्र उसके साथ सास, ससुर एवं पति द्वारा करना कथन किया है। मामले में महत्वपूर्ण रुप से रिपार्टकर्ता पी०ड० 17 रविन्द्र सिंह ने उसके सम्पूर्ण मुख्य परीक्षण में अभियुक्त गिरीश द्वारा मृतका से किसी अवसर पर कोई मांग करने का लेशमात्र कथन नहीं किया है, अपितु उक्त साक्षी ने मृतका से उसके सास-ससुर व जेठ द्वारा चार पहिया गाडी व एक लाख रुपये की मांग व मारपीट करना बताया है। इस प्रकार मृतका के परिजनों द्वारा उनकी सशपथ साक्ष्य में मृतका से किस व्यक्ति द्वारा, किस वस्तु की मांग की गई, इस बाबत् परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं । यहां यह उल्लेखनीय है, कि मामले में प्रस्तुत की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.19 में अभियुक्त या उसके परिजनों द्वारा मृतका से एक लाख रुपये एवं चौपहिया वाहन की मांग किये जाने बाबत कोई अंकन नहीं किया गया है, जिस रिपोर्ट में मात्र यह उल्लेख किया गया है, कि मृतका के ससुराल वाले शादी में मिले दान-दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा मृतका को कम दहेज लाने के बारे में तंग व परेशान करने लगे थे। रिपोर्टकर्ता पी०ड० 17 रविन्द्र ने उसकी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है, कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.19 लिखवाते समय उसे यह जानकारी नहीं थी, कि रक्षा को शादी के समय क्या-क्या दहेज दिया गया था तथा रक्षा से किस दिनांक या किस अवसर पर दहेज की मांग व मारपीट की गई थी तथा अभियुक्त द्वारा रक्षा से दहेज में क्या मांग की जाती थी, जिससे रिपोर्टकर्ता स्वयं इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से व्यक्तिगत रुप से परिचित होना प्रकट नहीं हुआ है । यद्यपि रिपार्टकर्ता पी०ड० 17 मृतका को विवाह के समय दिये गये दहेज एवं उससे की गई मांग से अनभिज्ञ होने का कथन करता है, परन्तु स्वयं पीडिता के पिता पी०ड० 3 ने उसकी जिरह में महत्वपूर्ण रूप से यह स्वीकार किया है, कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 उसके सामने पेश की गई थी, जो रिपोर्ट उसके सामने ही लिखी थी, जिसमें क्या लिखा है, वह उसकी जानकारी में है। पीडिता के पिता ने आगे यह भी बताया है, कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 19 में एक लाख रुपये व चार पहिया मांगने वाली बात अंकित नहीं है, जिसका वह कोई कारण नहीं बता सकता। मृतका के जीजा पी०ड० 5 रजत ने भी मृतका से चौपहिया वाहन व एक लाख रुपये की मांग किया जाना कथन किया है, जिसने जिरह में यह भी स्वीकार किया है, कि रिपोर्ट उनके मौके पर

पहुंचने के बाद दर्ज हुई थी । उक्त रिपोर्ट दर्ज करवा दिये जाने से पूर्व मृतका की माता पी०ड० 6 एवं बहिन पी०ड० 7 का मौके पर पहुंच जाना जाहिर आया है तथा उक्त सभी गवाहान ने शादी के कुछ समय बाद से ही मृतका से अभियुक्त व उसके परिजन द्वारा चौपहिया वाहन व एक लाख रूपया दहेजस्वरूप मांगा जाना व इसकी पूर्ति ना होने पर मृतका को तंग, परेशान व प्रताडित किया जाना कहा है । उपलब्ध साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है, कि जब मृतका के परिजन सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, तो मौके पर पुलिस थी, जिसके बावजूद मौके पर ही पुलिस को तुरंत कोई शिकायत प्रदान नहीं किया जाना तथा उक्त रिपोर्ट में मृतका से दहेज स्वरूप मांगे जाने वाला चौपहिया वाहन एवं एक लाख रूपये की राशि का अंकन नहीं किया जाना अत्यन्त अस्वाभाविक प्रकट हुआ है । विशेषकर उस स्थिति में, जबकि मृतका के उक्त परिजनों ने रिपोर्ट प्रदर्श पी19 रूपबास में अधिवक्ता श्री सोबरन सिंह से लिखवाया जाना कहा है, जो रिपोर्ट मृत्यु के पर्याप्त समय पश्चात् अधिवक्ता से लिखवाया जाकर प्रदान की गई है, जिसमें उक्त तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन स्वाभाविक एवं आवश्यक रहा था । यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि अभिलेख पर परीक्षित करवाये गये मृतका के किसी भी परिजन का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है, कि अभियुक्त या उसके परिजनों ने किसी अवसर पर उनसे उक्त दहेज की सीधी मांग की हो, अपितु मृतका के माता-पिता, दीदी व जीजा आदि सभी संबंधियों ने मृतका से की जाने वाली मांग के सम्बंध में उन्हें स्वयं मृतका द्वारा ही पीहर आने पर बताया जाना कथन किया है। इसी संबंध में मृतका की बहिन पी०ड० 07 पूजा ने भी परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं, जिसने एक ओर तो स्वयं का मृतका से रोजाना दो-तीन घण्टे फोन पर बात करना कथन किया है, वहीं दूसरी ओर यह बयान दिया है, कि मृतका ससुराल से पीहर आने पर उसे अभियुक्त द्वारा दहेज मांगे जाने एवं मारपीट करने बाबत् बताती थी, जबकि उक्त साक्ष्य से मृतका की रोजाना फोन पर बातचीत होने की दशा में मृतका द्वारा पीहर आकर उक्त शिकायत किया जाना स्वाभाविक एवं विश्वसनीय प्रकट नहीं हुआ है । पीडिता के परिजनों की यह भी साक्ष्य रही है, कि जब वे मौके पर पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों से मामले की जानकारी चाही थी, परन्तु किसी भी व्यक्ति ने उन्हें अभियुक्त के विरुद्व कोई बात नहीं बताई।

36. उक्त परीक्षित साक्षीगण ने यह कथन किया है, कि मृतका के साथ

अभियुक्त एवं उसके परिजनों द्वारा उक्त मांग को लेकर मारपीट की जाती थी, परन्तु मृतका के सभी परिजनों के साथ अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 13 चेतराम सेवदा ने भी यह स्वीकार किया है, कि अभियुक्त एवं उसके परिजनों के विरुद्व मृतका एवं उसके परिजनों ने इस घटना से पूर्व दहेज की मांग अथवा प्रताडना का कोई मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं करवाया था । मामले में मृतका की बहिन पी०ड० 7 पूजा का यह कथन रहा है, कि उसने मृतका के शरीर पर इस घटना से पूर्व भी मारपीट से कारित चोटों के निशान देखे है, जिस बाबत् उक्त साक्षिया ने मृतका की ऐसी चोटें देखे जाने का न्यायालय के समक्ष दिनांक बताने का प्रयास किया है, परन्तु उसके पुलिस बयानों में ऐसे किसी दिनांक का उल्लेख नहीं है, जिस दिनांक या अवसर पर मृतका के शरीर पर ऐसी चोटों के निशान देखे हो। सम्पूर्ण अभिलेख पर इस घटना से पूर्व मृतका के शरीर पर कारित चोटों बाबत तैयार करवाया गया कोई चोट प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही यह स्पष्ट हो सका है, कि मृतका को किस अवसर पर, किसके द्वारा, किस प्रकार, किस प्रकृति की चोट कारित की गई । मृतका के शरीर पर कारित ऐसी चोटों के फलस्वरुप लिये गये ईलाज एवं दवाओं के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । मृतका के उक्त सभी परिजनों ने घटना से पूर्व अभियुक्त एवं उसके परिजनों को इस बाबत समझाने का भी कथन किया है, परन्तु मृतका के किसी भी परिजन की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ है, कि मृतका के माता-पिता द्वारा अभियुक्त या उसके परिजनों को कब, किस स्थान पर व किन मौतबीरान की मौजूदगी में समझाने का प्रयास किया तथा उनके द्वारा की गई उक्त समझाईश का क्या परिणाम प्राप्त हुआ। मामले में रिपोर्टकर्ता पी०ड० 12 रविन्द्र ने उसकी जिरह में बताया है, कि मृतका से मांग एवं मारपीट की शिकायत प्राप्त होने पर मृतका के पिता पी०ड० 03 एवं चाचा पी०ड० 01 सुरेश अभियुक्त को समझाने गये थे, जहां उन्होंने राठौर मौहल्ला के लोगों को बुलाकर समझाईश की थी, परन्तु प्रकरण में परीक्षित करवाये गये मृतका के ससुराल के राठौर मौहल्ला के पडौसी एवं स्वतंत्र गवाह पी०ड० 9 परसराम, पी०ड० 10 रमेश, पी०ड० 12 सतीश, पी०ड० 14 पूरनसिंह तथा पी०ड० 16 राकेश पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुए है, जिन्होनें उनकी सम्पूर्ण सशपथ साक्ष्य में लेशमात्र अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है, अपितु एक स्वर में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि मृतका अपने ससुराल में राजीखुशी एवं प्रेमपूर्वक रहती थी। किसी भी साक्षी द्वारा मृतका से की जाने वाली

मांग अथवा मारपीट का कोई विशिष्ट दिनांक, अवसर, माह अथवा वर्ष भी स्पष्ट नहीं किया है। इस प्रकार मृतका से की जाने वाली मांग एवं मारपीट के सम्बंध में स्थिर एवं दृढ साक्ष्य उपलब्ध नहीं रही है।

37. मामले में मृतका रक्षा की मृत्यु की सूचना सर्वप्रथम अभियुक्त गिरीश के मोबाइल से मृतका की बहिन पूजा के फोन पर दिया जाना तथा उक्त फोन कॉल को मृतका के जीजा पी०ड० 5 रजत द्वारा अटैंड करना बताया गया है। इस सम्बंध में पी०ड० 5 रजत ने कथन किया है, कि जब वह तथा उसकी पत्नि किरावली में शॉपिंग कर रहे थे, तब उसकी पत्नि के मोबाइल पर गिरीश के मोबाइल से फोन आया था, जो उसने अटेंड किया, उसने पूछा कौन बोल रहे हो, तो उधर से आवाज आई, कि मनोज बोल रहा हूँ, जिसने बताया कि रक्षा ने फांसी लगा ली है और वो मर चुकी है । साक्षी पी०ड० 5 ने उक्त फोन दोपहर करीब डेढ-दो बजे आना कथन किया है, जिसके पश्चात उसने मृतका के माता-पिता एवं अपनी पत्नि पूजा को सूचित करना बताया है। इसके विपरीत मृतका की बहिन पी०ड० 7 पूजा ने यह साक्ष्य दी है, कि जब उसके पति को फोन पर यह सूचना प्राप्त हुई, तो उसके पति ने उसे कुछ नहीं बताया, परन्तु उसे अपने पति का चेहरा देखकर शंका हुई, तो उसने अपना फोन छीनकर रक्षा के फोन पर फोन किया, जिसे मृतका के जेठ के लडके उदय ने उठाया था । जब उसने उदय से रक्षा से बात कराने के लिए कहा, तो उदय ने उसे बताया कि चाची ने फांसी लगा ली है, जो परस्पर विरोधाभासी कथन रहे हैं । महत्वपूर्ण साक्षिया पी०ड० 07 ने उसकी साक्ष्य में बढ-चढकर यह भी कथन किया है, कि अभियुक्त आये दिन शराब पीकर मृतका के साथ मारपीट करता था, जबकि अभियुक्त द्वारा शराब पीकर मारपीट किये जाने बाबत् तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी19 एवं मृतका के अन्य परिजन पूर्णतः मौन रहे हैं ।

38. इसके अतिरिक्त मृतका के पिता पी०ड० 3 रामवकील तथा माता पी०ड० 06 सुमन ने कथन किया है, कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब उन्होनें मृतका के शव पर चोटें व नीले रगड के निशान देखे थे, मृतका की ढोडी से खून चल रहा था, जिसकी पीठ व बांहो पर चोट के निशान थे। मृतका के जीजा पी०ड० 5 व बहिन पी०ड० 07 ने भी मृतका के शव पर डंडो की मारपीट के निशान पीठ, पेट, ठोडी, सिर व अन्य अंगों पर होना बताया है, जबकि चिकित्सा अधिकारी पी०ड० 11 डा0 ओमभारती के कथनों के अनुसार मृतका के गले पर

केवल लीगेचर मार्क मौजूद पाया गया था तथा पोस्टमार्टम के दौरान थाईराइड ग्लैंड, कार्टीलेज व क्रीक्वाईट कार्टीलेज की गर्दन की हड्डी सी-2, सी-3 व सी-4 में फ्रैक्चर पाया गया था, गर्दन की नसें फटी पडी थी, परन्तु उक्त चिकित्सा अधिकारी ने उसकी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि मृतका का पोस्टमार्टम से पूर्व कोई एक्सरे नहीं करवाया, क्योंकि उक्त हड्डियां पोस्टमार्टम के दौरान टूटी हुई पाई गई थी, जिसने आगे महत्वपूर्ण रुप से स्वीकार किया है, कि मृतका के गर्दन पर पाये गये निशानात एवं बाह्य चोट हैंगिग के दौरान ही आना संभव है, जिसने उक्त निशान गला दबाने से कारित नहीं हो सकना कहा है । मृतका की उक्त हड्डियां शरीर के वजन के कारण हैंगिंग से टूटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मृतका की लाश का पंचनामा उसके पिता रिपोर्टकर्ता एवं परिजनों की मौजूदगी में तैयार किया गया है, जिस पंचनामा में वर्णित सम्पूर्ण इबारत से भी मृतका के शरीर पर तत्समय कोई ताजा एवं जाहिरा चोट विद्यमान होना प्रकट नहीं हुआ है, जिस स्थिति में मृतका के परिजनों द्वारा मृतका के शव पर चोटें एवं खून निकलते देखे जाने का कथन सर्वथा बढा-चढाकर, असत्य एवं अविश्वसनीय प्रकट हुआ है।

39. किसी भी अभियोजन साक्षी का ऐसा कोई स्पष्ट कथन नहीं रहा है, कि घटना वाले दिन अथवा कुछ दिन पूर्व अभियुक्त गिरीश ने मृतका से दहेज की कोई मांग की हो, जिसकी पूर्ति नहीं होने पर मृतका के साथ मारपीट एवं प्रताडना कारित की गई हो, बल्कि स्वयं मृतका की माता पी०ड० 06 ने इस घटना से पूर्व व मृतका का अंतिम बार होली पर अपने भाई के साथ पीहर आना कथन किया है । मामले में सम्पूर्ण विचारण के दौरान मृतका के किसी सगे भाई को प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, ना ही मृतका को होली पर ससुराल से लाने वाले उक्त भाई का नाम सूची गवाहान में अंकित किया गया है, जो मामले में अभियोजन के लिये महत्वपूर्ण गवाह हो सकता था, परन्तु अभियोजन ने मृतका के उक्त भाई को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिसका कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है । मामले में मात्र मृतका के चचेरे भाई पी०ड० 17 को परीक्षित करवाया गया है, जिसने उसकी साक्ष्य में कभी भी मृतका को उसके ससुराल जाकर पीहर लिवाकर लाने का कथन नहीं किया है, ना ही मृतका की माता पी०ड० 06 की ऐसी साक्ष्य रही है, कि तत्समय मृतका को मारपीट कर पीहर भिजवाया हो अथवा मृतका को ससुराल लेने जाने

वाले भाई से कोई मांग या दुर्व्यवहार किया गया हो । साक्ष्य के उपर्युक्त विश्लेषानुसार मृतका के शव पर कोई ताजा एवं जाहिरा चोट होना नहीं पाया गया है, जिसके मात्र गले पर चोट पाई गई है, जो चोटें हैगिंग के कारण आना संभव बताया गया है। साथ ही उक्त चोटें मृतका के साथ किसी प्रकार की मारपीट करने से आना संभव प्रकट नहीं हुआ है। मृतका के माता-पिता एवं अन्य परिजनों की यह साक्ष्य रही है कि घटना के दिन उनकी मृतका से कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही उन्हें उस दिन मृतका की मृत्यु से पूर्व मृतका के सम्बंध में अन्य कोई समाचार प्राप्त हुआ, जबकि मृतका की बहिन पी०ड०7 पूजा ने घटना के दिन मृतका को सुबह साढे 6 बजे फोन करना बताया है, जिसने फोन पर मृतका से पूछा था कि वह कैसी है, तो उसने बताया कि दीदी ठीक हूँ, परन्तु उस समय फोन पर पीछे से उसकी सास द्वारा गालियां देने की आवाजें आ रही थी, तो मृतका ने बताया कि ये उसकी सास का रोज का क्लेश है, जो कभी ये लाने को कहती है, कभी वो लाने को कहती है। उक्त साक्षिया ने यह भी बताया, कि मृतका ने उसे फोन पर उसकी ननद की शादी में शामिल होने के लिये हामी भरी थी, जिन कथनों से भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है, कि तत्समय मृतका के साथ दहेज में किसी विशिष्ट वस्तु की मांग की गई हो, क्योंकि उसने फोन पर पीछे से मृतका की सास द्वारा दी जाने वाली गाली की ही आवाज सुनना कहा है, जिसने उसकी सास को मृतका से कोई मांग करते सुनना नहीं कहा है । इसके अतिरिक्त साक्षिया पी०ड०7 द्वारा किये गये कथन यह प्रकट करते है, कि मृतका तत्समय उसके ससुराल में ठीक-ठाक एवं साामान्य अवस्था में थी, जो उसकी ननद की शादी में शामिल होने की योजना बना रही थी अन्यथा उसका स्वयं को ठीक होना तथा शादी में आने जैसी बातें कहा जाना स्वाभाविक नहीं था । यहां यह भी महत्वपूर्ण है, कि मृतका की बहिन पी०ड०7 द्वारा घटना के दिन मृतका से फोन पर इस प्रकार की बात किये जाने की सम्पुष्टि स्वयं उसके पति पी०ड०5 रजत एवं मृतका के माता-पिता ने नहीं की है, जो अत्यंत अस्वाभाविक प्रकट हुआ है, क्योंकि यदि उक्त साक्षिया की मृतका से फोन पर किसी प्रकार की गंभीर बातचीत हुई होती, तो साक्षिया पी०ड०7 द्वारा उक्त बात अपने पति अथवा माता-पिता को बताया जाना अत्यंत स्वाभाविक रहा था, परन्तु मामले में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी०ड०13 चेतराम ने महत्वपूर्ण रुप से यह स्वीकार किया है, कि उसने घटना के दिन मृतका के उसके परिजनों से फोन पर कोई बातचीत होना नहीं पाया था। उक्त

अनुसंधान अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर की है, कि घटना के समय मृतका मोबाइल रखती थी अथवा नहीं। स्वयं मृतका की बहिन पी०ड० 7 ने भी तत्समय मृतका का वह मोबाइल नम्बर जिस पर उसने मृतका से बात की थी तथा अपना मोबाइल नम्बर बता पाने में असमर्थता जाहिर की है। मामले में मृतका अथवा उसके परिजनों के बीच फोन पर हुई बातचीत के सम्बंध में कोई कॉल डिटेल दौराने साक्ष्य नहीं प्रदर्शित नहीं करवाई गई है, ना ही साक्ष्य अधिनियम के अधीन उपबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है । मामले में मात्र अनुसंधान अधिकारी द्वारा दूरसंचार कम्पनी को कॉल डिटेल प्राप्त करने हेतु लिखा गया पत्र प्रदर्श पी14 प्रदर्शित करवाया गया है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 13 ने यह स्वीकार किया है, कि उक्त पत्र प्रदर्श पी14 में किसी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है तथा उक्त पत्र में वर्णित नंबर किस व्यक्ति का है, इस तथ्य से अनुसंधान अधिकारी ने अनभिज्ञता जाहिर की है । अनुसंधान अधिकारी पी०ड० 13 ने यह भी जानकारी नहीं होना बताया है, कि घटना के समय मृतका मोबाईल रखती थी अथवा नहीं । मृतका के किसी भी परिजन ने उनकी सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई फोन नंबर स्पष्ट नहीं किया है, जिसका मृतका घटना के समय उपयोग करती हो, ना ही प्रकरण में मृतका का ऐसा कोई मोबाईल बरामद किया जाना प्रकट हुआ है, जिससे मामले में यह तथ्य ही विश्वसनीय नहीं रह जाता है, कि घटना के समय मृतका अपना अलग मोबाईल उपयोग करती हो । पत्रावली पर उपलब्ध उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर मृतका के साथ घटना से तुरंत अथवा युक्ति युक्त समय पूर्व किसी प्रकार की मांग एवं मारपीट एवं प्रताडना किया जाना जाहिर नहीं आया है।

40. यद्यपि मृतका के सभी परिजनों ने विवाह के पश्चात से ही मृतका के साथ मांग एवं मारपीट किया जाना बताया है, परन्तु मृतका के माता-पिता अथवा अन्य किसी परिजन की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं रही है, कि मृतका के परिजन मृतका को इस घटना से पूर्व किसी अवसर पर किसी कारण ससुराल से पीहर लिवाकर लाये हो अथवा मृतका अभियुक्त एवं उसके परिजनों की मांग एवं मारपीट से तंग आकर स्वयं पीहर आकर रहने लगी हो, जबकि विवाह के पश्चात से निरंतर इतने वर्षो तक मांग एवं क्रूरता किये जाने की दशा में पक्षकारान के बीच समझाईश हेतु पंच-पंचायतें जुडना तथा इस बात की शिकायत घर के बुजुर्गों, पंचो व मौतबीरान से किया जाना अत्यंत स्वाभाविक

रहा था, परन्तु अभिलेख पर ऐसी किसी पंच-पंचायत एवं समझाईश बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । यद्यपि मृतका के माता-पिता एवं अन्य परिजनों ने अभियुक्त द्वारा जिरह में प्रस्तावित इन सुझावों को गलत होना बताया है, कि मृतका के पिता ने कल्पना की शादी एवं उसके भाई सुरेश के ऑपरेशन के समय अभियुक्त से रूपये उधार लिये हों । उक्त सभी गवाहान ने इस सुझाव को गलत होना बताया है, कि मृतका के पिता ने मृतका का सामान जेवर खुलवाकर अपने पास रख लिये हों, परन्तु अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान पी०ड० 09 परसराम, पी०ड० 10 रमेश तथा पी०ड० 12 सतीश ने उनकी साक्ष्य में इन सभी सुझावों को सही होना स्वीकार किया है तथा उक्त तीनों गवाहान ने एक स्वर में यह कथन किया है, कि मृतका उसके पिता द्वारा उसके जेवर रख लिये जाने एवं नहीं लौटाये जाने से परेशान रहती थी तथा इसी कारण मृतका ने आत्महत्या की है । यद्यपि मृतका के पिता पी०ड० 03 ने उसकी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है, कि उन्होंने अभियुक्त की नानी की जमीन अपने पैसों से मृतका के नाम खरीदकर रजिस्ट्री करवाई थी । मृतका की बहिन पी०ड० 07 ने भी यही कथन किया है, कि मृतका को उसके पिता ने जमीन खरीदकर दी थी, परन्तु मृतका की मां पी०ड० 06 सुमन ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से इंकार किया है, कि उन्होंने मृतका को अचल संपत्ति खरीदकर दी हो । अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये साक्षीगण पी०ड० 12 सतीश, पी०ड० 14 पूरण सिंह तथा पी०ड० 16 राकेश ने उनकी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है, कि अभियुक्त पक्ष ने इस घटना से पूर्व मृतका के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, जिसकी पुष्टि डी०ड० 01 वीरेन्द्र जैन एवं पंजीकृत बयनामा प्रदर्श डी01 से होती है, कि मृतका के नाम उक्त रजिस्ट्री अभियुक्त पक्ष द्वारा ही करवाई गई है । मृतका की माता पी०ड० 06 ने महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया है, कि उन्होंने मृतका को शादी के बाद से घटना तक कोई दान, दहेज अथवा सामान नहीं दिया, जिससे उपलब्ध साक्ष्य एवं परिलक्षित परिस्थितियों से अभियुक्त द्वारा मृतका के साथ किसी प्रकार की दहेज की मांग किया जाना अथवा उक्त मांग की पूर्ति नहीं होने पर तंग एवं प्रताडित किया जाना प्रमाणित नहीं हो सका है, कि मृतका उक्त प्रताडना एवं क्रूरता के कारण आत्महत्या करने के लिये विवश हो गई हो अथवा उसका जीवन, अंग अथवा क्षेम या भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया हो । इस प्रकार अभियोजन पक्ष मृतका से की गई उक्त मांग एवं मारपीट को ही दृढतापूर्वक प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है, तो इस स्थिति

में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 113 (बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उपधारणा लिये जाने का भी कोई आधार उत्पन्न होना प्रकट नहीं हुआ है ।

41. मामले में अनुसंधान के दौरान बनाये गये नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी02 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है, कि उक्त नक्शा मौका में दर्शित एक्स स्थान पर मृतका का शव रखा होना पाया गया है, जिस फर्द की पुश्त पर वर्णित हालात मौका से यह स्पष्ट नहीं हो सका है, कि मृतका ने किस विशिष्ट स्थान पर फांसी लगाई थी । यद्यपि हालात मौका में प्रथमतल पर बने कमरे में मेज पर एक छोटी मेज रखी होना तथा उक्त मेज पर धूल जमी होने के कारण पैरों के निशान बने होना एवं उक्त मेजों के के ऊपर छत में लोहे का कुन्दा लगा होना अवश्य अंकित किया गया है, परन्तु सम्पूर्ण फर्द में ऐसा कोई अंकन नहीं है, कि उक्त स्थान पर ही मृतका ने फांसी लगाई हो, जिससे मामले में सम्यक अनुसंधान किया जाना भी प्रकट नहीं हुआ है ।

42. विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, कि किसी भी आपराधिक विचारण में साक्ष्य का कठोर निर्वचन का सिद्धान्त लागू होता है। आपराधिक विचारण में अभियोजन पक्ष का यह परम दायित्व है, कि वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करे। अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी लोप अथवा उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्त ही प्राप्त करने के अधिकारी माने गये हैं। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व पत्रावली पर आई मौखिक साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, कि अभियुक्त ने परिवादी की बहिन रक्षा उर्फ लालू (मृतका) से विवाह दिनांक 02.03.2014 के पश्चात् किसी समय मौजा रूपबास में उसका पति रहते हुए, दहेज में चार पहिये गाडी व एक लाख रूपये की अवैध मांग की एवं उक्त मांग की पूर्ति नहीं होने पर, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार एवं मारपीट की एवं दिनांक 28.04.2019 को उसे शारीरिक क्षति से अन्यथा शादी के सात साल के भीतर उसकी मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग कर, उसके साथ क्रूरता करते हुए हत्या कारित की । अतः उपरोक्त विवेचन से यह बिन्दु अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 02

43. चूंकि विचारणीय बिन्दु संख्या एक को अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त गिरीश कुमार को आरोपित अपराध धारा 498 ए, 304 बी भादंसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

आदेश

44. अतः अभियुक्त गिरीश कुमार पुत्र श्री अनारसिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी- कस्बा रूपबास थाना रूपबास, जिला भरतपुर को आरोपित अपराध धारा 498 ए, 304 बी में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

45. प्रकरण में जब्तशुदा माल बजह सबूत मृतका की साडी व सी०डी० को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नष्ट किया जावे एवं जब्तशुदा स्त्रीधन दहेज सामान मृतका श्रीमती रक्षा मताबिक फर्द प्रदर्श पी 04 को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन परिवादी को लौटाया जावे।

46. अभिलेख पर उपलब्ध परिवादी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य के विश्लेषण के उपरान्त, मामले में परिवादी/आहत को उपलब्ध तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार पीडित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत किसी प्रकार के प्रतिकर की अनुशंषा नहीं की जाती है।

(प्रशांत शर्मा)

47. निर्णय व आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रशांत शर्मा)